

2.1 परिचय

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, यह राज्य के वित्त लेखे और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विगत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2018-19 से 2022-23 तक के पाँच वर्ष की अवधि में राज्य के वित्त की समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण स्थिरता एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।

2.2 2021-22 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के प्रमुख राजकोषीय संग्रह में बड़े बदलावों को तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 8.75 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ राज्य के स्व कर प्राप्तियों में 26.29 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्व करेतर प्राप्तियों में 3.78 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 4.55 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 1.47 प्रतिशत की वृद्धि।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.49 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.07 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 15.90 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 65.63 प्रतिशत की कमी।
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 19.38 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 48.60 प्रतिशत की वृद्धि।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूँजीगत व्यय में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 7.20 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 15.79 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 48.48 प्रतिशत की वृद्धि।
ऋणों एवं अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 39.11 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 48.60 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 19.38 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 64.08 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 12.26 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 9.51 प्रतिशत की वृद्धि।
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ✓ विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में नकद शेष में ₹ 134.66 करोड़ (20.06 प्रतिशत) की वृद्धि।

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे)

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

विगत वर्ष के साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2: 2021-22 और 2022-23 में निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)


	विवरणी	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
स्रोत	आरंभिक नकद शेष	24,865	29,479	4,614	18.56
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,58,798	1,72,688	13,890	8.75
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	28	41	13	46.43
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	31,698	33,932	2,234	7.05
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	(-1,533)	4,316	5,849	(-) 381.54
	कुल	2,13,856	2,40,456	26,600	12.44
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,59,220	1,83,976	24,756	15.55
	पूँजीगत व्यय	23,678	31,520	7,842	33.12
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,479	2,056	577	39.01
	अंतिम नकद शेष	29,479	22,904	(-) 6,575	(-) 22.30
	कुल	2,13,856	2,40,456	26,600	12.44

(स्रोत: वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्त लेखे)

वर्ष 2022-23 के दौरान, निधियों का अनुप्रयोग¹ (₹ 2,17,552 करोड़) निधियों के स्रोतों² (₹ 1,72,729 करोड़) से अधिक था, जो इंगित करता है कि सरकार उपलब्ध निधि से अपने व्यय को पूरा करने में असमर्थ है। इस अंतर को कम करने के लिए, राज्य को 2022-23 के दौरान लोक ऋण के माध्यम से अपनी प्राप्ति में विगत वर्ष की तुलना में 19.38 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 40,444.90 करोड़ से ₹ 48,283.52 करोड़) करनी पड़ी। चालू वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष में राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों तथा समग्र वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है।

वर्ष 2022-23 में समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत के रूप में चार्ट 2.1 में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की स्रोत/अनुप्रयोग (प्रतिशत में)



(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे)

¹ निधि का अनुप्रयोग : राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण।

² निधि के स्रोत : राजस्व प्राप्ति + ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली।

2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।
- पूँजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती हैं।


इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास निधि के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.4.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखे में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) का उपयोग भी सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

चार्ट 2.2: 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे)

2022-23 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत प्राप्तियों और निवल लोक लेखा प्राप्तियों का योगदान कुल प्राप्तियों में क्रमशः 76.64 प्रतिशत, 21.45 प्रतिशत और 1.91 प्रतिशत था। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का योगदान विगत वर्ष की तुलना में घटकर 76.64 प्रतिशत हो गया जबकि 2021-22 की कुल प्राप्तियों में इसका योगदान 80.31 प्रतिशत था। विगत वर्ष की तुलना में, निवल लोक लेखा प्राप्तियों के योगदान ने कुल प्राप्तियों में सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाया जबकि वर्ष 2021-22 में इसका नकारात्मक योगदान (-) 0.78 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों और उनके घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह केन्द्र सरकार से प्राप्तियों एवं राज्य की स्व प्राप्तियों की द्विभाजित प्रवृत्ति उपलब्ध कराता है। जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियाँ (आर0आर0) (₹ करोड़ में)	1,31,794	1,24,233	1,28,168	1,58,797	1,72,688
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.22	(-) 5.74	3.17	23.90	8.75
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	29,408	30,158	30,342	34,855	44,018
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	4,131	3,700	6,201	3,984	4,135
भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	24,652	26,969	31,764	28,606	29,025
स्व राजस्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.88	0.95	7.93	6.28	23.98
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.55	9.40	17.78	(-) 9.94	1.46
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
आर0आर0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	24.96	21.35	22.59	24.42	22.98
उत्प्लावकता³ अनुपात⁴					
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.97	(-) 0.56	*	1.63	0.56
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राज्य की स्व राजस्व उत्प्लावकता	2.05	0.09	*	0.43	1.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा योजना एवं एम0ओ0एस0पी0आई0)

* उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जी0एस0डी0पी0 वृद्धि नकारात्मक थी

★ जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, वर्ष 2022-23 में, राज्य की, राजस्व उत्प्लावकता, विगत वर्ष की तुलना में कम थी। हालाँकि, 2022-23 में करेत्तर राजस्व को संग्रह में कमी, बजट अनुमानों में अनुमानित आँकड़े की तुलना में ₹ 2,001 करोड़ की कमी, ने राजस्व उत्प्लावकता को 0.56 तक कम कर दिया।

यद्यपि राजस्व के प्रत्येक घटक में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखी गई और विगत वर्ष की तरह, चालू वर्ष में जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता भी सकारात्मक थी, लेकिन यह विगत वर्ष की तुलना में 1.63 प्रतिशत से घटकर 0.56 प्रतिशत हो गयी।


³ उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लोच में प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

⁴ राजस्व उत्प्लावकता, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर को इंगित करता है।

- ★ राज्य की स्व राजस्व प्राप्तियों का संग्रह ₹ 48,152.63 करोड़ था, और यह पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 37,980 करोड़) से ₹ 10,172.63 करोड़ अधिक था, और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमान (₹ 37,807 करोड़) से भी ₹ 10,345.63 करोड़ अधिक था। इसके अलावा, राज्य की स्व राजस्व प्राप्तियाँ, बजट अनुमान ₹ 47,522.62 करोड़, से ₹ 630.01 करोड़ अधिक थी।
- ★ राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 72.12 प्रतिशत निवल समनुदेशित केंद्रीय करों और सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का योग है, जो दर्शाता है कि राज्य राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है।
- ★ 2018-19 से 2022-23 की अवधि में भारत सरकार से सहायता अनुदान में 17.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक वार) चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक-वार)




(स्रोत: वर्ष 2022-23 के बिहार सरकार के मासिक सिविल लेखे)

राज्य सरकार को मुख्य रूप से माह जनवरी 2023 (18.43 प्रतिशत) और मार्च 2023 (35.82 प्रतिशत) में संघीय करों की समनुदेशित निवल प्राप्त हुई थी। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का बड़ा हिस्सा भी मार्च 2023 (37.74 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में उपरोक्त महीनों में निधि का प्रवाह अधिक हुआ था और शेष महीनों में निधि प्राप्ति नाममात्र थी।

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ इसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.4: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ उसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण)

वर्ष 2022-23 के लिए जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ, विगत वर्ष की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में ₹ 4,157.23 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि के कारण घट गई (जहाँ वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार को ₹ 31,492 करोड़ अधिक प्राप्त हुए)। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

- ★ राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (55.31 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (16.81 प्रतिशत) थे। राज्य के स्व राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का केवल 27.88 प्रतिशत है।
- ★ विगत वर्ष की तुलना में, 2022-23 में, राजस्व प्राप्तियों में ₹ 13,890.69 करोड़ (8.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से तथा कर राजस्व के योगदान में क्रमशः 4.55 प्रतिशत (₹ 4,157.23 करोड़) और 26.29 प्रतिशत (₹ 9,163.19 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके अलावा करेत्तर राजस्व और भारत सरकार से सहायता अनुदान में क्रमशः 3.78 प्रतिशत (₹ 150.56 करोड़) और 1.47 प्रतिशत (₹ 419.71 करोड़) की मामूली वृद्धि हुई।

2.4.2.1 राज्य के स्व संसाधन


अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके स्व कर और करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व शामिल है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का स्व कर राजस्व ₹ 33,067 करोड़ और करेत्तर राजस्व ₹ 4,913 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।

अ. स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य जी0एस0टी0, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री कर, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं।

राज्य के कुल राजस्व में स्व कर राजस्व की प्रतिशत हिस्सेदारी की प्रवृत्ति चार्ट 2.6 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.6: 2018-23 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों से स्व-कर की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के स्व कर राजस्व का घटकवार विवरण और प्रवृत्ति को तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,584	6,121	6,032	6,872	9,881	
एस0जी0एस0टी0	15,288	15,801	16,050	19,264	23,243	
राज्य उत्पाद शुल्क	-10	-4	-4	-1	1	
मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क	4,189	4,661	4,206	5,224	6,451	
वाहनों पर कर	2,086	2,713	2,268	2,475	2,936	
भू राजस्व	477	275	302	284	361	
माल और यात्रियों पर कर	399	23	6	0	1	
अन्य कर *	395	568	1,482	737	1,144	
कुल	29,408	30,158	30,342	34,855	44,018	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


* अन्य करों में पेशे, व्यापार, बुलावा और रोजगार पर कर, बिजली पर कर तथा शुल्क और वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क शामिल हैं।

तालिका 2.4 से यह देखा जा सकता है कि:

- ✦ वर्ष 2020-21 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर घटती प्रवृत्ति में थे। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 43.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसके कारण वैट प्राप्तियों की संग्रह में ₹ 2,305.75 करोड़ और राज्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 713.88 करोड़ की वृद्धि है। जुलाई 2017 से सभी माल एवं यात्रियों पर कर और बिक्री, व्यापार आदि पर आंशिक कर को जी0एस0टी0 में शामिल कर लिया गया था।
- ✦ एस0जी0एस0टी0 में वृद्धि मुख्य रूप से कर और इनपुट एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का टैक्स क्रेडिट क्रॉस-उपयोग और आई0जी0एस0टी0 के विभाजन के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई थी।
- ✦ अप्रैल 2016 से राज्य में लगाई गई शराबबंदी के कारण राज्य उत्पाद शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व नगण्य है।
- ✦ विगत वर्ष की तुलना में मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 23.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिसका मुख्य कारण दस्तावेजों को छापने पर शुल्क के संग्रह में वृद्धि और दस्तावेजों के पंजीकरण और स्टॉप की बिक्री के संग्रह से थी। 'राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों' के तहत प्राप्तियों के कारण वाहनों पर कर में ₹ 461 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से 'सड़क सुरक्षा उपकर' में ₹ 159.13 करोड़ शामिल हैं।
- ✦ विगत वर्ष की तुलना में, 2022-23 में, 'भू-राजस्व' के तहत 27.11 प्रतिशत अधिक संग्रह देखा गया। चालू वर्ष में इसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण उप-शीर्ष 'दरों और भूमि पर उपकर' के तहत राजस्व में 62.90 प्रतिशत की वृद्धि और 'सर्वेक्षण और निपटान संचालन के कारण रसीद' में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 45.68 करोड़ अधिक होना है।
- ✦ मुख्यतः 'बिजली की खपत और बिक्री' पर करों में विगत वर्ष की तुलना ₹ 376.10 करोड़ की वृद्धि के कारण अन्य करों में ₹ 407 करोड़ (55.22 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय विद्युत नियमों के तहत शुल्क में ₹ 16.84 करोड़ की वृद्धि देखी गई है।
- ✦ चालू वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर जी0एस0टी0पी0 में राज्य के स्व कर राजस्व का कुल हिस्सा 5.86 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 में राज्य के स्व कर राजस्व और उसमें वृद्धि दर को नीचे चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: 2018-19 से 2022-23 के दौरान स्व-कर राजस्व में वृद्धि



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जी0एस0टी0 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जी0एस0टी0एन0 (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) पर अखिल भारतीय आँकड़ों तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की जानकारी 04 नवम्बर 2020 को दी गई। बिहार के मामले में, जी0एस0टी0 बैक-एंड सिस्टम तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय की पहुंच वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि से संबंधित जी0एस0टी0 (राज्यों को मुआवजा), अधिनियम 2017 की धारा 7(3) (बी) के तहत राज्य द्वारा एकत्र किए गए वास्तविक राजस्व का प्रमाणीकरण पूरा कर लिया गया है।

एस0जी0एस0टी0 के तहत ₹ 24,721 करोड़ के अनुमानित संग्रह के मुकाबले, राज्य सरकार ने ₹ 23,243 करोड़ (अनुमान का 94.02 प्रतिशत) एकत्र किया है। एस0जी0एस0टी0 संग्रह में एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (₹12,437.32 करोड़) और कर (₹ 7,423.21 करोड़) प्रमुख घटक थे।

बकाया राजस्व एवं बकाया राशि के आकलन का विश्लेषण

राजस्व की बकाया राशि सरकार के देय राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाती है। इसी प्रकार, मूल्यांकन का बकाया संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध हो जाता है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं। राज्य में सात⁵ प्रमुख कर संग्रहण विभाग थे। इन सात विभागों में से केवल तीन विभागों ने राजस्व के बकाया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी और दो विभागों ने कर निर्धारण बकाया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी।

राजस्व अर्जित करने वाले सात विभागों में से, तीन द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार राजस्व के बकाया का विवरण तालिका 2.5 में उल्लिखित है।

⁵ वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण), मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद शुल्क), खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

तालिका 2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2022 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2023 तक कुल बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाहन पर कर	परिवहन	172.85	183.39	उपलब्ध नहीं
2.	भू-राजस्व	राजस्व एवं भूमि सुधार	282.11	302.47	उपलब्ध नहीं
3.	वैट/बिक्री व्यापार/जी०एस०टी० आदि।	वाणिज्यिक कर	2,392.46	2,624.05	उपलब्ध नहीं
कुल			2,847.42	3,109.91	

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

राजस्व के बकाया के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली का कम प्रमाणीकरण, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई वसूली, निर्धारित/व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण वसूली रुकी रहना आदि शामिल थे।

आकलनों का बकाया

राज्य कर विभागों द्वारा प्रस्तुत बकायों के आकलन के मामलों का विवरण तालिका 2.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.6: आकलनों का बकाया

क्रम सं०	विभाग का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान नए मामले	आकलन के लिए कुल मामले	वर्ष में निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष मामले	निपटान का प्रतिशत
1.	परिवहन	30,762	1,960	32,722	1,023	31,699	3.13
2.	वाणिज्यिक कर	26,406	3,008	29,414	2,553	26,861	8.68

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, मामलों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की माँग करना राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निस्तारण में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण तालिका 2.7 दिया गया है।

तालिका 2.7: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31.03.2022 तक लंबित मामले	2022-23 में पहचान किए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त माँग उठाई गई		अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या (31 मार्च 2023 तक)
					मामलों की संख्या	माँग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	जी०एस०टी०	279	1,862	2,141	2,034	418.14	107

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

प्रतिदाय के लंबित मामले

सात कर संग्रह विभागों में से चार⁶ ने बकाया राजस्व के मूल्यांकनों का बकाया, कर अपवंचन और प्रतिदाय मामलों पर आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए थे। इसके अलावा, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने 'शून्य' जानकारी प्रदान की है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित प्रतिदाय के लंबित मामलों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: प्रतिदाय के लंबित मामले

क्रम सं०	विवरण	जी.एस.टी.		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	80	5.58	556	45.74
2.	वर्ष में प्राप्त दावे	1,864	301.00	329	159.24
3.	वर्ष में दिया गया प्रतिदाय	1,077	211.15	295	123.37
4.	वर्ष में अस्वीकार किया गया प्रतिदाय	764	91.69	235	8.09
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि	103	3.74	355	73.52

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जानकारी)

संपूर्ण आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा समग्र रूप से राज्य के लंबित प्रतिदाय मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सका।

ब. करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं।

2018-23 के दौरान राज्य के करेत्तर राजस्व के घटकों की प्रवृत्ति को तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: राज्य के करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	1,371.94	1,416.48	3,241.97	722.47	642.03	
लाभांश और लाभ	13.67	1.62	603.01	6.54	1.49	
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	2,744.95	2,281.50	2,356.40	3,255.33	3,491.38	
(ए) मुख्य और मध्यम सिंचाई	52.77	24.32	40.13	40.64	83.06	
(बी) सड़क परिवहन	0.19	0.20	0.11	0.18	0.19	
(सी) शहरी विकास	0.94	4.80	0.15	1.08	3.47	
(डी) शिक्षा	18.85	17.13	11.50	509.13	5.83	
(ई) गैर लौह खनन	1,560.65	1,572.07	1,708.93	1,766.14	2,729.73	
(एफ) अन्य या विविध।	1,111.55	662.98	595.58	938.16	669.10	
कुल	4,130.56	3,699.60	6,201.38	3,984.34	4,134.90	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


⁶ मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण), मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद शुल्क), खान एवं भूविज्ञान विभाग और ऊर्जा विभाग।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

- ✦ 2022-23 में करेत्तर राजस्व (एन0टी0आर0) में पिछले वर्ष की तुलना में 3.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राजस्व प्राप्तियों का 2.39 प्रतिशत था। चालू वित्तीय वर्ष में जी0एस0डी0पी0 में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा केवल 0.55 प्रतिशत था।
- ✦ यद्यपि एन0टी0आर0 में वृद्धि हुई, लेकिन केवल ₹ 150.56 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई, जो विगत वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तियों और लाभांश एवं लाभ में क्रमशः 11.13 प्रतिशत और 77.22 प्रतिशत की कमी के कारण थी।
- ✦ यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 में ब्याज प्राप्तियों और लाभांश और लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि जो कि ₹ 2,600 करोड़ की समेकित निक्षेप निधि पर अर्जित ब्याज के मोचन और एस0पी0एस0ई0 के संचित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ के लाभांश जारी करने के कारण हुई थी।
- ✦ खनन विभाग के अंतर्गत गैर लौह खनन से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 963.59 करोड़ की वृद्धि हुई और राज्य के करेत्तर राजस्व में उच्चतम प्रतिशत हिस्सेदारी (66.02 प्रतिशत) रही।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 में राज्य के करेत्तर राजस्व और इसमें वृद्धि दर को चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: करेत्तर राजस्व एवं इसकी वृद्धि दर



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि चार्ट 2.8 से देखा जा सकता है, विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, 2021-22 में, करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर नकारात्मक थी और पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यह मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों एवं एस0पी0एस0ई0 से लाभांश एवं लाभ के तहत कम प्राप्तियों के कारण था। नकारात्मक प्रवृत्ति पर काबू पाते हुए, राज्य ने वर्ष 2021-22 से चालू वर्ष के दौरान ₹ 151 करोड़ की मामूली वृद्धि को प्राप्त किया।


2.4.2.2 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधियों का अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार दो तरीकों से राज्यों को निधियों का अंतरण करती है (i) राज्यों को केंद्रीय करों का अंतरण और (ii) सहायता अनुदान।

केंद्र सरकार से राज्य को निधियों के अंतरण का विवरण चार्ट 2.9 में दिया गया है।

चार्ट 2.9: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.9 से देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार से निधियों का अंतरण 2013-14 के ₹ 47,413.14 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,24,535.39 करोड़ हो गया, यानी पिछले 10 वर्षों की अवधि में केंद्र से अंतरण में 162.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

केंद्रीय करों का अंतरण

केन्द्र द्वारा किए गए वास्तविक अंतरण की तुलना एवं चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी की तुलना को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.10: वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वित्त आयोग की अनुशंसा	राज्य को अनुमानित कर हिस्सा	वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार को अंतरित राशि	वास्तविक अंतरण	अंतर	प्रतिशत अन्तर
1	2	3	4	5	6(5-4)	7
2018-19	साझा करने योग्य सेवा करों की निवल आय का 9.787 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	8,93,430	87,440	73,603	13,837	15.82
2019-20	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.061 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	10,34,745	1,01,270	63,406	37,864	37.39
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.058 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	8,55,176	86,039	59,861	26,178	30.43
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.058 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	6,58,591	66,241	91,353	25,112	(+) 37.91
2022-23	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.058 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	7,32,628	73,688	95,510	21,822	(+) 29.61

(स्रोत: वित्त आयोग का प्रतिवेदन और वित्त लेखे)

इस प्रकार, वर्ष 2022-23 के लिए वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक कर हस्तांतरण 29.61 प्रतिशत अधिक था। 2018-19 से 2022-23 में विभिन्न घटकों के तहत संघीय करों में राज्य

का हिस्सा तालिका 2.11 में दिखाया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय करों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पाक लाइन
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)	18,166.79	17,992.97	17,788.67	25,442.20	26,989.02	
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)	1,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
निगम कर	25,596.84	21,618.94	18,062.14	27,178.50	32,019.47	
निगम कर के अलावा आय पर कर	18,850.99	16,939.90	18,517.49	26,661.32	31,262.19	
सीमा शुल्क	5,217.40	4,019.07	3,179.93	6,775.97	3,754.66	
संघीय उत्पाद शुल्क	3,467.28	2,794.34	2,012.03	3,868.86	1,178.03	
सेवा कर	673.31	0.00	258.09	1,326.22	149.28	
अन्य कर #	180.72	41.11	43.06	99.55	157.20	
केंद्रीय कर अंतरण	73,603.13	63,406.33	59,861.41	91,352.62	95,509.85	
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशतता	13.09	-13.85	-5.59	52.61	4.55	
राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	55.85	51.04	46.71	57.53	55.31	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अन्य करों में सम्पत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

केंद्रीय कर अंतरण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,157.23 करोड़ (4.55 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई। 2022-23 में केंद्र से कर हस्तांतरण विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक था और 2018-19 से ₹ 21,906.72 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय कर हस्तांतरण में निगम कर का हिस्सा सबसे अधिक (33.52 प्रतिशत) था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) प्राप्त होती है। विगत पाँच वर्षों में भारत सरकार से सहायता अनुदान और उसके घटकों का विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
गैर-योजना अनुदान	-	-	-	-	-
राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान	(-) 2.82	(-) 40.27	(-) 33.57	0.00	(-) 374.48
केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान*	-	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अनुदान (सी0एस0एस0)	16,322.72	15,302.04	16,609.56	17,832.91	22,237.18
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	-	-	-
केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान	4,775.20	7,343.61	8,850.00	7,077.56	6,732.65
अन्य अंतरण/राज्यों/विधान सभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश	3,556.52	4,363.24	6,337.89	3,695.36	430.19
कुल	24,651.62	26,968.62	31,763.88	28,605.83	29,025.54
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 4.15	9.40	17.78	(-) 9.94	1.47
राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	18.70	21.71	24.78	18.01	16.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* वर्ष 2017-18 से योजना और गैर-योजना अनुदानों के शब्दावली को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर सी0एस0एस0 के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान दिया गया है।

योजना और गैर-योजना के अंतर (2017-18) को हटाने के साथ, केंद्र से सहायता अनुदान में: (i) वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान (ii) आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए अनुदान और (iii) केंद्रीय प्रक्षेत्र के केंद्रीय हिस्से एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल हैं।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि: (i) भारत सरकार से सहायता अनुदान, मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान में वृद्धि (24.70 प्रतिशत) के कारण ₹ 419.71 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में अनुदान के अन्य घटकों में गिरावट देखी गई और (ii) 2018-19 से 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से कुल अनुदान 16.81 प्रतिशत से 24.78 प्रतिशत के बीच थी। 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का प्रतिशत विगत पाँच वर्षों में सबसे कम था। कुल मिलाकर, विगत पाँच वर्षों में भारत सरकार से सहायता अनुदान 2.91 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ी है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2022-23 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिए गए ₹ 22,237.18 करोड़ के अनुदान में से प्रमुख अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:

- ✦ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹4,192.59 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 100.91 प्रतिशत की वृद्धि)।
- ✦ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹ 1,386.18 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 692.11 प्रतिशत की वृद्धि)।
- ✦ समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹ 1,358.84 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 2,566.23 प्रतिशत की वृद्धि)।
- ✦ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए ₹ 1,377.40 करोड़ दिए गए (विगत वर्ष की तुलना में 27.51 प्रतिशत की कमी)।
- ✦ समग्र शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए ₹1,445.14 करोड़ दिए गए।

एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी0एफ0एम0एस0 / एफ0सी0डी0 / 2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के तहत निधि जारी करने और एस0एन0ए0 द्वारा निगरानी के साथ-साथ जारी निधि के उपयोग की प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सी0एस0एस0 के लिए, एस0एन0ए0 की स्थापना राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ की जाती है। इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एस0एन0ए0 के खाते में अंतरित करना है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹ 22,481.46 करोड़ प्राप्त हुए।

पी0एफ0एम0एस0 रिपोर्ट (31 मार्च 2023 तक) के अनुसार, सरकार ने एस0एन0ए0 को ₹ 22,231.91 करोड़ जो केंद्रीय हिस्सा था और ₹ 14,190.40 करोड़ राज्य के हिस्से को अंतरित किए थे। ₹ 36,422.31 करोड़ के कुल अंतरण में से ₹ 745.69 करोड़ ए0सी0 बिल, ₹ 29,627.52 करोड़ सहायता अनुदान बिल, ₹ 5,996.11 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिल और ₹ 52.99 करोड़ छात्रवृत्ति और वजीफे के बिल के माध्यम से अंतरित किए गए। जैसा कि राज्य सरकार/एस0एन0ए0 द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च 2023 तक एस0एन0ए0 के बैंक खातों में ₹ 15,732.06 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हुए हैं। एस0एन0ए0 पर विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट के अध्याय IV की कड़िका 4.21 में है।

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य को स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान, राज्य विशिष्ट अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान के लिए निधि प्रदान की।

वास्तविक प्राप्ति की तुलना में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: सहायता अनुदान की अनुशंसित और वास्तविक अंतरण

(₹ करोड़ में)

	पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक अंतरण			राज्य द्वारा अंतरण		
	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23
स्थानीय निकाय (पी0आर0आई0)	5,018.00	3,709.00	3,842.00	5,018.00	3,709.00	3,842.00	5,018.00	3,709.00	3,842.00
शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान	2,416.00	1,827.00	1,892.00	2,416.00	836.25	1,552.35	2,416.00	836.25	1,552.35
स्वास्थ्य के लिए अनुदान	0	1,133.10	1,133.10	0	1,116.31	0	0	1,116.31	0
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि [#]	1,416.00	1,416.00	1,487.00	1,416.00	1,416.00	1,338.30	1,416.00	1,416.00	1,338.30
कुल	8,850.00	8,085.10	8,354.10	8,850.00	7,077.56	6,732.65	8,850.00	7,077.56	6,732.65

(स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और वित्त लेखे)

[#] राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि सहित

राज्य को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का अपना पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं हो सका, जिसका मुख्य कारण शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बी0) में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को प्राप्त न करना था।

वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 6,732.65 करोड़ जारी किए गए, जो अनुशंसा से 19.41 प्रतिशत कम था। यू0एल0बी0 और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को अनुदान सिफारिश से क्रमशः 17.95 प्रतिशत और 10.00 प्रतिशत कम था। स्वास्थ्य के लिए ₹ 1,133.10 करोड़ की अनुशंसा के विरुद्ध कोई अनुदान नहीं मिला। वर्ष 2022–23 में प्राप्त अनुदान भी विगत वर्ष के अनुदान से 4.87 प्रतिशत कम था। हालाँकि, बिहार सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग के सिफारिशों के शुरुआती वर्ष से 2022–23 तक स्थानीय निकायों (पी0आर0आई0) के लिए सौ प्रतिशत अनुशंसित अनुदान प्राप्त हुआ।

उपरोक्त अनुदानों के अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य-विशिष्ट अनुदान, सांख्यिकी, न्यायपालिका और पी0एम0जी0एस0वाई0 के रखरखाव में सुधार के लिए अनुदान, राज्य के लिए कृषि सुधार, आत्मनिर्भरता, निर्यात और स्थिरता के लिए प्रोत्साहन राशि की भी सिफारिश की, लेकिन ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने पुष्टि की (18.08.2023) कि भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई, लेकिन अनुदान प्राप्त न होने का कारण नहीं बताया गया।

2.4.3 पूँजीगत प्राप्ति

पूँजीगत प्राप्ति में विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए पूँजीगत प्राप्ति और उनके घटकों का विवरण तालिका 2.14 में दिया गया है।

⁷ राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम 25 प्रतिशत शहरी निकायों के पास विगत वर्ष के लिए उनके अनंतिम लेखे और विगत वर्ष से पहले के लिए लेखापरीक्षित लेखे दोनों हैं जो वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

तालिका 2.14: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना और वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूँजीगत प्राप्तियाँ	20,493	29,175	36,735	40,473	48,325
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,825	30	820	28	41
लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,668	29,145	35,915	40,445	48,284
आंतरिक ऋण	16,134	27,866	29,412	30,918	38,129
वृद्धि दर	37.07	72.72	5.55	5.12	23.32
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,534	1,279	6,503	9,527	10,155
वृद्धि दर	81	(-) 50	408.44	46.50	6.59
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	8,195	(-) 98	2,633.33	(-) 96.59	48.18
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	41.75	56.12	23.23	12.61	19.38
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	55	42	25.91	10.18	19.40

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022-23 में, पूँजीगत प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 2,21,013.03 करोड़) का 21.87 प्रतिशत थीं और 2018-19 से इसमें 135.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत पाँच वर्षों की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियाँ औसतन 30.50 प्रतिशत की दर से बढ़ीं। राज्य सरकार ने खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹ 38,129 करोड़ और भारत सरकार से ₹ 10,155 करोड़ का ऋण लिया। वर्ष 2018-19 से खुले बाजार से उधार और भारत सरकार से ऋण की मात्रा में 136.33 प्रतिशत और 300.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम एवं आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्ति का हिस्सा 99.92 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी लेकिन इस प्रवृत्ति पर काबू पाते हुए चालू वर्ष में 19.38 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई।

चालू वर्ष में ₹ 38,129 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया और पूँजीगत प्राप्तियों में इसका योगदान 78.90 प्रतिशत था। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों और अग्रिमों में वर्ष 2021-22 में दर्ज वृद्धि दर पर 6.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। "विशेष सहायता" के तहत पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (₹ 8,455.85 करोड़) और 1989-90 से ब्लॉक ऋण के तहत ब्लॉक ऋण (₹ 1,698.69 करोड़), प्रमुख घटक थे।

ऋण और अग्रिम की वसूली के रूप में गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ बढ़कर ₹ 41.49 करोड़ हो गईं। इसमें से 52.88 प्रतिशत (₹ 21.94 करोड़) सरकारी कर्मचारियों से ऋण की वसूली से संबंधित थी। इस वर्ष भी 'सरकारी सेवकों से वसूली' राज्य की गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा रही, जिसमें, ₹ 26.92 करोड़ के संवितरण के मुकाबले, सरकारी सेवकों से दर्ज की गई वसूली ₹ 21.94 करोड़ थी।

यद्यपि पूँजीगत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 19.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी अवधि में पूँजीगत व्यय में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.4 संसाधन के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों का संग्रहण सरकार को सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने तथा लोक निवेश के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करने की अनुमति देती है।

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्व कर और करेत्तर राजस्व शामिल हैं, जिसे तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: 2022-23 में अनुमानों की तुलना में कर और करेत्तर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित	छठवें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमानित	वास्तविकी	वास्तविकी की प्रतिशत भिन्नता		
					बजट अनुमान से	पंद्रहवें वित्त आयोग अनुमान से	छठे राज्य वित्त आयोग अनुमान से
स्व कर राजस्व	41,387	33,067	32,373	44,018	6.36	33.12	35.97
करेत्तर राजस्व	6,136	4,913	5,434	4,135	(-)32.61	(-)15.84	(-)23.91

(स्रोत: बजट दस्तावेज बिहार सरकार, पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन और छठे राज्य वित्त आयोग एवं वित्त लेखे)

राज्य बजट अनुमान, पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग अनुमान में निर्धारित करेत्तर राजस्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रमशः ₹ 2,001 करोड़, ₹ 778 करोड़ और ₹ 1,299 करोड़ से पीछे रह गया। हालाँकि, बजट अनुमान, पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग में निर्धारित स्व कर राजस्व के अनुमानों को प्राप्त किया गया और यह अनुमान से क्रमशः ₹ 2,631 करोड़, ₹ 10,951 करोड़ और ₹ 11,645 करोड़ अधिक था।

2.5 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानून के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी निहित होती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढाँचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्यय जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। व्यय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत होनी चाहिए। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ाकर बचत करना होना चाहिए।

2.5.1 व्यय की वृद्धि एवं घटक

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत, देखभाल और कामकाजी खर्चों पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों को परिचालन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्च भी राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत होंगे।

पूँजीगत व्यय: किसी परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी शुल्कों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव के लिए शुल्क और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत स्वीकृत ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधारों के लिए शुल्क को भी पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ऋण और अग्रिम: सरकार द्वारा लोक क्षेत्र उपक्रमों (पी0एस0यू0) और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

समग्र व्यय और इसके घटकों का प्रवृत्ति विश्लेषण एवं जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष प्रतिशत को तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टी0ई0)	1,47,425	1,38,987	1,58,816	1,84,377	2,17,552.81
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976.22
पूँजीगत व्यय (सी0ई0)	21,058	12,304	18,209	23,678	31,519.82
ऋण एवं अग्रिम	1,470	666	1,114	1,479	2,056.77
जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में					
टी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	27.92	23.89	28.00	28.35	28.95
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0	23.66	21.66	24.59	24.48	24.48
सी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	3.99	2.11	3.21	3.64	4.19
ऋण एवं अग्रिम / जी0एस0डी0पी0	0.28	0.11	0.20	0.23	0.27

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आर्थिक वर्गीकरण और गतिविधियों द्वारा व्यय के संदर्भ में, व्यय की संरचना में परिवर्तन को तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएँ	42,002 (28.49)	44,016 (31.67)	47,626 (29.99)	52,447 (28.45)	59,284 (27.25)
सामाजिक सेवाएँ	62,345 (42.29)	60,619 (43.61)	70,139 (44.16)	81,268 (44.08)	94,316 (43.35)
आर्थिक सेवाएँ	41,604 (28.22)	33,684 (24.24)	39,935 (25.15)	49,183 (26.68)	61,896 (28.45)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	1,474 (1.00)	668 (0.48)	1,116 (0.70)	1,479 (0.80)	2,057 (0.95)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

(कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े इन क्षेत्रों पर कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं)

तालिका 2.17 दर्शाती है कि:


- ★ राज्य ने 2022-23 में, कुल व्यय के गतिविधि घटकों के संदर्भ में, आर्थिक सेवाओं में अधिक राशि व्यय (प्रतिशतता-वार) की है जबकि सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में व्यय में कमी के साथ मामूली भिन्नताएँ देखी गई हैं।
- ★ सामान्य सेवाओं में, राज्य ने ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए समेकित निक्षेप निधि में योगदान को स्थगित करने का निर्णय लेकर ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग पर अपने व्यय को कम कर दिया, जो उस हद तक राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वर्ष 2022-23 में, राज्य ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1,288 करोड़ का योगदान दिया।
- ★ सामाजिक सेवाओं में, 'सामान्य शिक्षा' के तहत व्यय में 'गैर-सरकारी कॉलेजों और संस्थानों को सहायता' में 54.68 प्रतिशत और 'अन्य वयस्क शिक्षा कार्यक्रम' में 98.34 प्रतिशत की बड़ी कमी, 'तकनीकी शिक्षा' के तहत 'अनुसंधान के लिए सहायता' में 65.84 प्रतिशत की

कमी, 'अनुसूचित जातियों' के लिए विशेष घटक योजना की सहायता में 66.98 प्रतिशत की कमी, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में 90.34 प्रतिशत और 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के तहत बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण में 79.50 प्रतिशत की कमी देखी गई और स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं की सहायता में 88.57 प्रतिशत एवं 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' आदि के तहत नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समकक्ष को सहायता में 73.06 प्रतिशत का अल्प व्यय देखा गया।

- ★ आर्थिक सेवाओं में, 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' के तहत 'प्रशिक्षण' में 305.01 प्रतिशत, 'सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण' के तहत दिशानिर्देश और प्रशासन में 1,359.81 प्रतिशत, 'पर्यटन' के तहत दिशानिर्देश और प्रशासन में 298.17 प्रतिशत और प्रचार-प्रसार में 636.72 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, एवं जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी आदि के तहत विगत वर्ष की तुलना में दिशानिर्देश और प्रशासन में ₹ 384 करोड़ अधिक की वृद्धि देखी गई।

चार्ट 2.10 2018-19 से 2022-23 में कुल व्यय के घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.10: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा लिए गए बिजली कंपनियों (डिस्कॉम्स) की ऋण का राज्य के ऋण संरचना पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (₹ 2,056.77 करोड़) कुल व्यय का केवल 0.95 प्रतिशत थे। पूँजीगत व्यय में 2019-20 के बाद वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जबकि इसी अवधि में, राजस्व व्यय में कुल व्यय के संबंध में घटती प्रवृत्ति देखी गई।

कार्य के अनुसार व्यय की संरचना का विवरण **चार्ट 2.11** में देखा जा सकता है।

चार्ट 2.11: 2022-23 में कार्य के अनुसार व्यय की संरचना



(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे)

राज्य का घटकवार एवं कार्यवार बजट एवं व्यय

वर्ष 2022-23 के राज्य बजट के क्रियान्वयन का विश्लेषण, बजट में किये गये प्रावधानों के घटकवार वर्गीकरण के आधार पर किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये गये बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध किये गये व्यय का घटकवार विवरण तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: घटक-वार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	मूल बजट	पूरक बजट	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट का प्रतिशतता	कुल व्यय का प्रतिशतता	बजट के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4×100)
स्थापना एवं प्रतिबद्ध	1,37,460.94	13,609.47	1,51,070.41	1,26,749.88	50.08	54.66	83.90
राज्य योजनाएँ	36,023.01	21,100.34	57,123.35	44,347.59	18.93	19.12	77.63
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्रांश	46,019.44	3,502.91	49,522.35	25,898.26	16.42	11.17	52.30
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश	13,789.55	25,725.78	39,515.33	31,554.39	13.10	13.61	79.85
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ	230.25	56.78	287.03	60.45	0.10	0.03	21.06
बाह्य संपोषित परियोजनाएँ	4,168.00	-	4,168.00	3,293.30	1.38	1.42	79.01
कुल	2,37,691.19	63,995.27	3,01,686.46	2,31,903.88	100.00	100.00	76.87

(स्रोत: विनियोग लेखा एवं बिहार सरकार का बजट दस्तावेज)

जैसा कि तालिका 2.18 से देखा जा सकता है, कुल बजट का 76.87 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका है और अनुपूरक बजट से अधिक राशि अप्रयुक्त रह गई है। इसके अलावा, स्थापना एवं प्रतिबद्ध घटक पर खर्च कुल व्यय का 54.66 प्रतिशत किया गया।

इसी प्रकार, राज्य के बजट और वित्त लेखे में वर्णित कार्य-वार बजटीय प्रावधानों और उनके विरुद्ध किए गए वास्तविक व्यय का विश्लेषण किया गया। कार्यवार बजटीय प्रावधान एवं उनके विरुद्ध

किये गये व्यय का विवरण तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: कार्य-वार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यक्षेत्र	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का प्रतिशतता
सामान्य सेवाएँ	66,124.25	69,653.95	59,284.06	25.56
सामाजिक सेवाएँ	95,555.38	1,22,404.59	94,315.78	40.67
आर्थिक सेवाएँ	60,020.03	76,992.29	61,896.09	26.69
लोक ऋण	14,670.03	14,670.03	14,351.07	6.19
ऋण और अग्रिम	1,314.85	1,791.56	2,056.77	0.89
सहायता अनुदान एवं योगदान	6.64	6.64	0.11	-
कुल	2,37,691.19	2,85,519.06	2,31,903.88	100.00

(स्रोत: वित्त लेखा एवं बिहार सरकार का बजट दस्तावेज)

पूँजीगत व्यय (आर्थिक सेवाओं के तहत) आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कम पूँजीगत व्यय राज्य में संपत्ति निर्माण, जिस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है, की गति को बाधित कर सकता है।

2.5.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत दायित्व के लिए भुगतान करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है।

राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: राजस्व व्यय-मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टी0ई0)	1,47,425	1,38,987	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,24,897	1,26,017	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22
आर0ई0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.70	0.90	10.69	14.14	15.55
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
राजस्व व्यय का टी0ई0 से प्रतिशत	84.72	90.67	87.83	86.36	84.57
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	23.66	21.66	24.59	24.48	24.48
आर0ई0 का आर0आर0 से प्रतिशतता	94.77	101.44	108.84	100.27	106.54
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
जी0एस0डी0पी0 (अनुपात) के साथ	1.72	0.09	-	0.97	1.00
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात) के साथ	1.78	(-) 0.16	3.38	0.59	1.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जी0एस0डी0पी0 वृद्धि 2020-21 में नकारात्मक थी।


तालिका 2.20 दर्शाती है कि:

- ★ राजस्व व्यय कुल व्यय का 84.57 प्रतिशत था और पूँजीगत व्यय के लिए केवल 15.43 प्रतिशत धनराशि बची जो विगत वर्ष (13.64 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ी अधिक है।
- ★ राजस्व व्यय में ₹ 24,756.51 करोड़ की वृद्धि हुई।
- ★ 2022-23 में, जी0एस0डी0पी0 के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात विगत वर्ष की तुलना में अधिक था। राजस्व प्राप्ति के साथ, राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात 1.78 प्रतिशत था जो राज्य के वित्त के लिए अच्छा संकेत नहीं था।

- ✦ वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता एक से अधिक थी। इससे संकेत मिलता है कि राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में तेज गति से बढ़ रहा था।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



(स्रोत: वर्ष 2022-23 का वित्त लेखे)

2.5.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष में राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताएँ तालिका 2.21 में दी गई हैं।

तालिका 2.21: 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि/कमी
2029-भू-राजस्व	756.52	867.83	111.31	14.71
2049-ब्याज भुगतान	13,821.93	15,183.54	1,361.61	9.85
2055-पुलिस	8,265.23	9,235.61	970.38	11.74
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	314.96	560.29	245.33	77.89
2039-राज्य उत्पाद शुल्क	123.27	308.85	185.58	150.55
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	20,257.58	23,107.87	2,850.29	14.07
2202-सामान्य शिक्षा	33,361.92	40,987.09	7,625.17	22.86
2014-न्याय प्रशासन	1,076.28	1,283.47	207.19	19.25
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	942.32	2,551.72	1,609.40	170.79
2505-ग्रामीण रोजगार	3,523.80	1,573.11	(-) 1,950.69	(-) 55.36
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	4,225.92	2,864.94	(-) 1,360.98	(-) 32.21
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	9,639.74	8,422.46	(-) 1,217.28	(-) 12.63

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.21 दर्शाता है:

- ★ विगत वर्ष की तुलना में : (i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 'ग्रामीण रोजगार' में व्यय में कमी (ii) मुख्य रूप से 'ग्राम पंचायतों को सहायता' और शिक्षा में कम व्यय के कारण 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण' में व्यय में कमी एवं (iii) मुख्य रूप से 'बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' के तहत कम व्यय के कारण 'चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य' के व्यय में कमी।
- ★ व्यय में वृद्धि : (i) 'भू-राजस्व' (मुख्य रूप से सरकारी संपत्ति के प्रबंधन के तहत), 'ब्याज भुगतान' (मुख्य रूप से बाजार ऋण पर ब्याज और विधायिका योजनाओं के साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अन्य ऋणों पर ब्याज के तहत), 'पुलिस' (मुख्य रूप से जिला पुलिस और विशेष पुलिस के तहत), 'वानिकी और वन्य जीवन' (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और वन संरक्षण, विकास और पंजीकरण के लिए विशेष घटक योजना के तहत), 'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' (मुख्य रूप से पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन के परिवर्तित मूल्य के तहत) और परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी योगदान), 'सामान्य शिक्षा' (मुख्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान के तहत, गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और छात्रवृत्ति आदि के लिए सहायता), 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' (मुख्य रूप से स्वच्छता सेवाओं, वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत) एवं (ii) न्याय प्रशासन, राज्य उत्पाद शुल्क आदि भी राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि के कुछ कारण थे।

2.5.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय एवं पेंशन शामिल हैं। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को विकास के लिए कम लचीलापन देती है। प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन एवं मजदूरी	19,922.57	20,375.92	21,802.11	23,524.52	24,816.02
पेंशन पर व्यय	16,027.75	17,110.38	19,635.15	20,257.58	23,107.87
ब्याज भुगतान	10,071.14	10,991.42	12,484.04	13,821.93	15,183.54
कुल	46,021.46	48,477.72	53,921.30	57,604.03	63,107.43
राजस्व प्राप्तियों (आर0आर0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	15.12	16.40	17.01	14.81	14.37
पेंशन पर व्यय	12.16	13.77	15.32	12.76	13.38
ब्याज भुगतान	7.64	8.85	9.74	8.70	8.79
कुल	34.92	39.02	42.07	36.28	36.54
राजस्व व्यय (आर0ई0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	15.95	16.17	15.63	14.77	13.49
पेंशन पर व्यय	12.83	13.58	14.08	12.72	12.56
ब्याज भुगतान	8.06	8.72	8.95	8.68	8.25
कुल	36.85	38.47	38.66	36.18	34.30

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2020-21 के 38.66 प्रतिशत से लेकर 2022-23 में 34.30 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में (मामूली 0.26 प्रतिशत) बढ़कर 36.54 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक प्रतिबद्ध व्यय बढ़कर 37.13 प्रतिशत हो गया।

वर्ष के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में, कुल प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 5,503.40 करोड़ (9.55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान (8.79 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2016, में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के 8.29 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था, लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग के ₹ 15,356 करोड़ के अनुमान से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों पर व्यय 2018-19 में जी0एस0डी0पी0 का 8.72 प्रतिशत था और 2022-23 में घटकर 8.40 प्रतिशत हो गया था। 2020-21 में, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय 9.51 प्रतिशत रहा, जो विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक था।

बिहार सरकार के बजट दस्तावेज (2020-21) के अनुसार 'लोक ऋण का पुनर्भुगतान' को भी राज्य के प्रतिबद्ध व्यय के रूप में लिया गया है। लोक ऋण के पुनर्भुगतान पूँजीगत शीर्ष अंतर्गत व्यय के घटकों में से एक है। इस प्रतिवेदन में लोक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय की गणना की गई है। इसलिए, प्रतिबद्ध व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतीत में वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य के पेंशन और वेतन भुगतान में वृद्धि हुई है, जिससे इसके राजस्व व्यय पर असर पड़ा है। बी0एफ0आर0बी0एम0, 2023, में अनुमानित पेंशन भुगतान, आगामी वर्षों के लिए नौ प्रतिशत की वृद्धि दर की आधार दर के साथ गणना की गई और पेंशन भुगतान देनदारियों को 2032-33 तक बढ़ाकर ₹ 63,933.85 करोड़ किया जाएगा। इसलिए, पेंशन और वेतन का आकलन करते समय, राज्य को राजस्व प्रवाह पर संभावित दबाव और सख्त वित्तीय अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। चूँकि विगत 10 वर्षों में, राज्य के राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि 11.54 प्रतिशत थी, जो पेंशन पर व्यय की अनुमानित वृद्धि दर (नौ प्रतिशत) का बोझ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा राज्य को पेंशन के अलावा अन्य मदों पर व्यय करना पड़ता है।

वर्ष में, राज्य ने एम0टी0एफ0पी0⁸ में प्रतिबद्ध व्यय को बनाए रखा है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए बजट के बड़े हिस्से का आवंटन पूँजीगत व्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं को तय करने में राज्य के लचीलेपन को सीमित करता है।

2.5.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की लंबित देयताएँ

1 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी0सी0पी0एस0) है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करता है और राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। पूरी राशि (कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान) को नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित किया जाना है।

2022-23 में एन0पी0एस0 के लिए कुल योगदान ₹ 2,649.81 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान: ₹ 1,106.56 करोड़ और सरकार का योगदान: ₹ 1,543.25 करोड़) होना था, जिसके विरुद्ध ₹ 2,609.30 करोड़ की राशि एन0एस0डी0एल0 को अंतरित की गई थी। वर्ष में सरकार द्वारा

⁸ एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य: वेतन और मजदूरी- ₹ 29,749.57 करोड़; पेंशन- ₹ 24,252.29 करोड़ और ब्याज भुगतान- ₹ 16,305.03 करोड़।

₹ 325.56 करोड़ (विगत वर्ष का शेष ₹ 279.12 करोड़ और चालू वर्ष का शेष ₹ 46.44 करोड़) का कम योगदान दिया गया।

31 मार्च 2023 तक, ₹ 325.56 करोड़ (₹ 279.12 करोड़ विगत वर्ष का शेष + ₹ 46.44 करोड़) अंत शेष के रूप में लोक लेखा में पड़े थे, जिन्हें एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में जमा किया जाना बाकी था।

इसके अलावा, राज्य सरकार एन0पी0एस0 शेष राशि के विलंबित अंतरण पर सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) ग्राहकों के लिए लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, राज्य सरकार ने एन0एस0डी0एल0 को अंतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज देनदारी बनाई है।

कर्मचारियों के हिस्से से प्राप्तियाँ, सरकार का योगदान, उस पर अर्जित ब्याज और पेंशन निधि में निवेश का विवरण तालिका 2.23 में दिया गया है।

तालिका 2.23: डी0सी0पी0एस0 के तहत योगदान और निवेश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारियों का योगदान	सरकार का अंशदान	कुल	पेंशन निधि में हस्तांतरित	कम (-) / अधिक (+) हस्तांतरण
2015-16	314.72	309.44	624.16	609.72	(-) 14.44
2016-17	381.55	382.64	764.19	741.68	(-) 22.51
2017-18	462.64	472.36	935.00	937.33	2.33
2018-19	573.74	567.54	1,141.28	1,081.26	(-) 60.02
2019-20	688.65	816.58	1,505.23	1,302.58	(-) 202.65
2020-21	802.00	1,099.76	1,901.76	1,976.83	75.07
2021-22	934.55	1,311.04	2,245.59	2,302.76	57.17
2022-23	1,106.56	1,543.25	2,649.81	2,609.30	(-) 40.51

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

एन0एस0डी0एल0 को धनराशि का कम योगदान/हस्तांतरण कर्मचारियों की पेंशन आय को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, सरकार के योगदान को जारी करने और पेंशन निधि में अंतरित करने में देरी के कारण, राज्य सरकार को सामान्य भविष्य निधि पर लागू दर पर परिहार्य ब्याज का सामना करना पड़ेगा, जो उस सीमा तक भविष्य की देनदारी और राजकोषीय घाटा पैदा करता है।

2.5.2.4 सब्सिडी

चालू वर्ष में कुल सब्सिडी, ₹ 14,827.79 करोड़ रही, जो विगत वर्ष की तुलना में 44.58 प्रतिशत अधिक है। यह विगत वर्ष की तुलना में विगत पाँच वर्षों के दौरान सर्वाधिक वृद्धि है और यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.59 प्रतिशत और राज्य के स्व राजस्व का 30.79 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 में यह जी0एस0डी0पी0 का 1.97 प्रतिशत थी।

सब्सिडी पर व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: वर्ष 2018–23 के दौरान विभागवार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

विभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
कृषि	490.52	518.17	164.30	219.58	496.76	
ऊर्जा	5,737.03	5,193.00	6,759.96	8,180.82	12,223.00	
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	638.81	618.13	578.77	720.56	629.93	
उद्योग	322.00	316.78	234.47	787.07	1,040.42	
परिवहन	962.77	177.17	122.57	89.01	96.18	
पशु एवं मत्स्य संसाधन	112.92	116.00	99.67	100.71	163.37	
अन्य	59.92	182.02	207.68	158.27	178.13	
सब्सिडी	8,323.97	7,121.27	8,167.42	10,256.02	14,827.79	
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	6.32	5.73	6.37	6.46	8.59	
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	6.66	5.65	5.86	6.44	8.06	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला कि सब्सिडी का 82.43 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में गया। यह विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सबसे अधिक था और विगत वर्ष की सब्सिडी के प्रतिशत हिस्से से 2.66 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी में 113.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,042.18 करोड़ अधिक थी, यानी बिहार सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी को विगत वर्ष की तुलना में 49.41 प्रतिशत बढ़ा दिया था। इस प्रवृत्ति से यह भी पता चला कि 2019–20 को छोड़कर, विगत पाँच वर्षों में सब्सिडी की राशि में वृद्धि हुई। चूँकि अधिकांश सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र को जाती है, तालिका 2.25 ऊर्जा क्षेत्र को दी गई सब्सिडी का विवरण दिखाती है।

तालिका 2.25: वर्ष 2018–2023 के लिए ऊर्जा क्षेत्र को दी गई सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	वर्ष				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0)	0.00	0.00	0.00	100.00	145.00
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)	57.03	0.00	0.00	80.86	0.00
मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)	5,120.00	5,193.00	6,759.96	7,999.96	12,078.00
कुल	5,737.03	5,193.00	6,759.96	8,180.82	12,223.00

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों की अवधि में, ऊर्जा कंपनियों को, मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना को छोड़कर, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए कुल ₹ 38,093.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई। वर्ष 2021–22 के लिए दोनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रमाणित लेखों के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) को ₹ 1,287.60 करोड़ का घाटा और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) को ₹ 929.57 करोड़ का घाटा हुआ।

2.5.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में, स्थानीय निकायों और अन्य को, अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता तालिका 2.26 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.26: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(ए) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	2,892.56	1,533.24	4,785.08	5,386.53	4,990.73
पंचायती राज संस्थान	7,517.61	9,971.64	12,899.38	13,268.40	14,474.20
कुल (ए)	10,410.17	11,504.88	17,684.46	18,654.93	19,464.93
(बी) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	1,905.37	3,925.89	3,716.00	3,684.25	4,331.84
विकास प्राधिकरण	5,860.77	5,839.49	999.15	1,693.64	1,388.63
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थान	33,587.98	25,311.28	32,529.37	40,982.19	54,755.48
कुल (बी)	41,354.12	35,076.66	37,244.52	46,360.08	60,475.95
कुल (ए+बी)	51,764.29	46,581.54	54,928.98	65,015.01	79,940.88
वेतन पर जी0आई0ए0	19,922.57	20,375.92	21,802.11	23,524.52	24,816.02
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जी0आई0ए0	14,023.84	5,569.37	10,273.35	14,083.39	20,019.34
गैर-वेतन के लिए जी0आई0ए0	2,184.57	2,494.82	3,652.61	3,797.35	4,798.28
जी0आई0ए0 (वस्तु रूप में)	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी				
राजस्व व्यय	1,24,896.81	1,26,016.66	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	41.45	36.96	39.38	40.83	43.45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों (एल0बी0) और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में विगत वर्ष (₹ 65,015.01 करोड़) की तुलना में 22.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्व व्यय में इसका प्रतिशत बढ़कर 43.45 प्रतिशत हो गया।

स्थानीय निकायों को उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना, वित्तीय सहायता जारी करना खराब वित्तीय प्रबंधन (अध्याय-IV की कड़िका 4.5 में विस्तृत) का संकेत है।

छटे राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0)

राज्य सरकार ने 2020-25 के लिए छटे एस0एफ0सी0 का गठन (फरवरी 2019) किया। एस0एफ0सी0 ने करों और अनुदानों के हस्तांतरण की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की। इस प्रकार, यदि करों और अनुदानों के अंतरण का परिकल्पित मूल्य न्यूनतम सीमा से कम हो जाता है, तो राज्य सरकार को कम से कम न्यूनतम सीमा राशि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करनी होगी।

आयोग को संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार से राज्य के स्थानीय निकायों को राजकोषीय अंतरण करना था।

एस0एफ0सी0 की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों के प्रावधान के लिए 65:35 फार्मूला अपनाया। 2022-23 में, कुल प्रावधान ₹ 4,834 करोड़ (अंतरण: ₹ 2,654 करोड़ और अनुदान: ₹ 2,180 करोड़) में से ₹ 3,142 करोड़ (65 प्रतिशत) पंचायती राज संस्थानों के लिए और ₹ 1,692 करोड़ (35 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के लिए थे।

अंतरण

राज्य सरकार को एस0एफ0सी0 की सिफारिश पर 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए विभाज्य पूल (विगत वर्ष का राज्य का निवल स्व कर राजस्व) की 10 प्रतिशत की दर से अंतरित करना था। निधियों का अंतरण तालिका 2.27 में देखा जा सकता है।

तालिका 2.27: 2022-23 के लिए करों का विभाज्य पूल

(₹ करोड़ में)

	अनुमानित	वास्तविक (टी-1)
राज्य स्व कर राजस्व (अ)	32,373	34,855
संग्रह करने की लागत 2.52 प्रतिशत की दर से (ब)	816	878
निवल राज्य स्व कर राजस्व (अ-ब)	31,557	33,977
हस्तांतरण (एस0ओ0एन0टी0आर0 का 10 प्रतिशत)	3,156	3,398

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन और संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

हालाँकि, राज्य ने अनुशंसित ₹ 3,398 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 2,654 करोड़ (अंतरण) प्रदान किए।

अनुदान

आयोग ने 2021-25 की अवधि में वार्षिक अनुदान की राशि की गणना विगत वर्ष के निवल राजस्व (राज्य की समेकित निधि) के 2.50 प्रतिशत की दर से करने की सिफारिश की। अनुदान का 50 प्रतिशत सीधे स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना था और शेष 50 प्रतिशत विभिन्न विभागों के द्वारा उन योजनाओं में खर्च किया जाना था जिनके लक्ष्य स्थानीय निकायों द्वारा विकसित किए जाने थे। 2022-23 में, ₹ 4,609 करोड़ (₹ 1,84,376.51 करोड़ x 2.50 प्रतिशत) की अनुदान राशि का प्रावधान किया जाना था, जैसा कि तालिका 2.28 में उल्लेखित है।

तालिका 2.28: 2022-23 के दौरान स्थानीय निकायों को अनुदान

(₹ करोड़ में)

अनुदान	एस0एफ0सी0 द्वारा अनुमानित	राशि जिसका प्रावधान किया जाना था	प्रावधान
स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष (50 प्रतिशत)	2,180	2,304.50	1,090.00
विभागों द्वारा व्यय (50 प्रतिशत)	2,180	2,304.50	1,090.00
कुल	4,360	4,609.00	2,180.00

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन और संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने अनुमानित ₹ 4,609 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 2,180 करोड़ (43.03 प्रतिशत) का प्रावधान किया था।

स्थानीय निकायों को निधियाँ जारी करने में विलंब: 2022-23 में, प्रत्येक मद के लिए भुगतान आदेश दो किस्तों में जारी किए जाने थे यानी 50 प्रतिशत की पहली किस्त 30 जून तक और 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक।


निधि जारी करने के आदेशों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयोग के दिशानिर्देशों के विरुद्ध, पारित आदेशों में 74 से 259 दिनों तक की देरी हुई।

वित्त विभाग, बिहार सरकार से निधियों को कम एवं विलंबित रूप से जारी करने के कारण (14 नवंबर 2023) पूछे गए थे। हालाँकि, उनके जवाब की प्रतीक्षा (31 दिसंबर 2023) थी।

2.5.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय है। राज्य में पूँजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से बाहर से पूरा किया जा रहा। इसमें राज्य द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पाँच वर्षों में, कैपेक्स का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.13 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.13: राज्य में पूँजीगत व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.13 से, यह देखा जा सकता है कि:

- ★ पूँजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में किए गए आकलन और मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी 2022 (₹ 29,749.64 करोड़) में किए गए अनुमान की तुलना में 5.95 प्रतिशत अधिक था।
- ★ सामाजिक सेवाओं में पूँजीगत व्यय ₹ 5,153.72 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,967.30 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में ₹ 1,561.04 करोड़ तथा सामाजिक कल्याण और पोषण में ₹ 376.86 करोड़ थी। हालाँकि, सामान्य सेवाओं में यह ₹ 3,507.49 करोड़ से घटकर ₹ 3,254.88 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण अन्य प्रशासनिक सेवा में ₹ 282.09 करोड़ और पुलिस में ₹ 35.35 करोड़ की कमी है। वर्ष 2022-23 में आर्थिक

सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ₹ 15,017.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 22,297.64 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण ‘अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ में ₹ 2,262.42 करोड़, “ऊर्जा” में ₹ 1,648.71 करोड़, ‘सड़क और पुल’ में ₹ 2,549.50 करोड़ और ‘ग्राम एवं लघु उद्योग विकास’ में ₹ 1,355.80 करोड़ की व्यय वृद्धि है।

- ✦ विगत पाँच वर्षों की अवधि में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 2.11 प्रतिशत से 4.19 प्रतिशत के बीच रहा है। हालाँकि, विगत वर्ष की तुलना में इसमें 0.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ✦ वित्त लेखों के अनुसार पूँजीगत शीर्ष के तहत दर्ज किए गए कुछ व्यय को गलत वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया (कड़िका 2.5.3.6)।

पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय IV की कड़िका 4.4 में शामिल किया गया है।

2.5.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में राज्य के पूँजीगत व्यय के संबंध में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को तालिका 2.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: 2021-22 की तुलना में 2022-23 में पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशतता वृद्धि (+) / कमी (-)
4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	865.44	2,426.48	1,561.04	180.38
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	3,955.66	6,218.08	2,262.42	57.19
5054- सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	4,052.42	6,601.92	2,549.50	62.91
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,430.00	3,078.71	1,648.71	115.29
4851- ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	16.44	1,392.24	1,375.80	8,368.61
4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	132.97	509.83	376.86	283.42
4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,231.42	1,207.61	(-)1,023.81	(-) 45.88
4215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	1,975.96	1,310.02	(-) 665.94	(-) 33.70
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,760.74	1,315.54	(-) 445.20	(-) 25.28
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,108.97	983.93	(-)125.04	(-)11.28
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,349.48	1,067.39	(-) 282.09	(-) 20.90
5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,057.59	959.00	(-) 98.59	(-) 9.32

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई। ‘अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों’ पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से ‘न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम’ के तहत अधिक व्यय के कारण हुई। ‘सड़क और पुलों’ पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से ‘प्रमुख सड़कों’ के अंतर्गत की गई। विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि मुख्य रूप से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0) की परियोजनाओं के तहत हुई। ‘ग्राम एवं लघु उद्योगों’ में वृद्धि मुख्यतः

औद्योगिक पार्क के विकास के अंतर्गत हुई। 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' पर व्यय में वृद्धि एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई0सी0डी0एस0) के तहत अधिक व्यय और सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों के निर्माण के कारण हुई।

विगत वर्ष की तुलना में 'सिंचाई सृजन परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सहायता प्राप्त)' के कारण 'मुख्य सिंचाई', पर कम व्यय किया गया। 'मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)' के तहत कम व्यय के कारण 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' पर भी कम व्यय हुआ। 'इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग (निश्चय)' के तहत कम व्यय के कारण 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' में कम व्यय किया गया। 'बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं' (कार्यों) के अंतर्गत कम व्यय के कारण 'बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं' में कम व्यय देखा गया। मुख्यतः 'मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत कम व्यय के कारण 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' पर कम व्यय किया गया। 'पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स (कार्य)' के तहत कम व्यय के कारण, 'अन्य परिवहन सेवाओं' में कम व्यय किया गया।

2.5.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, वहाँ निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। यह खंड चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

निवेश पर प्रतिफल

एस0पी0एस0ई0 में निवेश की गई शेरर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। 2018-19 से 2022-23 तक के वर्षों में निवेश पर प्रतिफल का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30: निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	28,327.00	31,667.39	32,870.61	35,436.02	39,024.62
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	11.34	1.62	603.01	6.54	1.49
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.04	0.01	1.83	0.02	0.004
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.18	6.07	5.94	5.70	5.51
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.14	6.06	4.11	5.68	5.506
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में) [#]	1,739.28	1,919.04	1,350.98	2,012.77	2148.70

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[#] वर्ष के अंत में निवेश × ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर

★ 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने सरकारी कंपनियों में 46 सरकारी कंपनियों (₹ 36,388.28 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹ 105.63 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़), 12 संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹ 1,862.76 करोड़), और 17 सहकारी संस्थानों/समितियों (₹ 637.76 करोड़) में ₹ 39,024.62 करोड़ का निवेश किया था। इन 46 सरकारी कंपनियों में से 22 कंपनियाँ कार्यरत कंपनियाँ हैं जिनमें ₹ 36,216.90 करोड़ का निवेश किया गया और 24 अकार्यशील कंपनियाँ थीं जिनमें बिहार सरकार द्वारा ₹ 171.38 करोड़ का निवेश किया गया।

- राज्य ने विद्युत क्षेत्र में ₹ 35,375.22 करोड़ (बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में ₹ 35,273.20 करोड़ और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 102.02 करोड़) का निवेश किया, जो 2022-23 तक राज्य सरकार के कुल निवेश का 90.65 प्रतिशत और कार्यशील कंपनियों में किए गए निवेश का 97.68 प्रतिशत है।
- केवल दो संस्थाओं (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 1.28 लाख और अन्य सहकारी द्वारा ₹ 147.54 लाख) द्वारा ₹ 1.49 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण विगत वर्ष की तुलना में निवेश पर प्रतिफल में ₹ 5.05 करोड़ की कमी आई।
- सरकार की उधारी लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल पर राज्य सरकार को ₹ 2,148.70 करोड़ (विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक) की काल्पनिक हानि हुई।

राज्य सरकार ने 2022-23 तक घाटे में चल रहे एक एस0पी0एस0ई0 को अंश पूँजी के रूप में ₹ 35,273.20 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की, जैसा कि तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

कंपनी / निगम	समेकित हानि	वर्ष में किया गया निवेश	31 मार्च 2022 को समेकित निवेश	31 मार्च 2023 को समेकित निवेश
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	19,718.48	3,078.71	32,194.49	35,273.20
कुल	19,718.48	3,078.71	32,194.49	35,273.20

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (फरवरी 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

ऋण एवं अग्रिम :

सरकार ने कई सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया है। विवरण तालिका 2.32 में दिया गया है।

तालिका 2.32: 2018-19 से 2022-23 के दौरान वितरित और वसूले गए ऋण

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूले गए ऋण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	21,169.17	20,814.33	21,450.23	21,743.77	23,194.36
वर्ष के दौरान अंतरित राशि	1,470.56	666.30	1,113.97	1,478.51	2,056.77
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	1,825.40	30.40	820.43	27.92	41.49
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	20,814.33	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64
निवल योग	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28
प्राप्त ब्याज	462.86	599.74	3,067.38	532.78	365.90
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	पता नहीं लगाया जा सकता				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	5.96	5.68	5.49	5.37	5.18
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	पता नहीं लगाया जा सकता				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.32 से यह देखा जा सकता है कि:

- ✦ 2022-23 में, दिए गए ऋणों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज ₹ 365.90 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 166.88 करोड़ कम और पिछले पाँच वर्षों के दौरान सबसे कम था।
- ✦ वर्ष 2022-23 में ₹1,505.52 करोड़ की राशि यानी ऋण का 73.20 प्रतिशत सरकारी कंपनियों को दी गई।
- ✦ ऋणी समूह को ₹ 2,029.85 करोड़ (सरकारी कंपनियाँ: ₹ 1,505.52 करोड़ और अन्य: ₹ 524.33 करोड़) के ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के बावजूद, केवल ₹ 18.19 करोड़ ऋण का पुनर्भुगतान किया गया।
- ✦ प्रत्येक वर्ष (2019-20 को छोड़कर) में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम 2018-19 के ₹ 1,470.56 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,056.77 करोड़ हो गए और यह विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार द्वारा दी गई उच्चतम सहायता थी।

राज्य सरकार ने ऋणी को प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर को अंतिम रूप नहीं दिया था और कुछ मामलों में ऋण राशि के साथ ब्याज की दर का खुलासा नहीं किया गया।

विगत पाँच वर्षों में ऋणी समूहवार कुल संवितरण और ऋण के पुनर्भुगतान को तालिका 2.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.33: विगत पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में ऋणी समूहवार ऋणों का कुल संवितरण और पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	कुल	
	संवितरण	पुनर्भुगतान
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान	0.00	0.00
नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम	0.00	0.00
आवास बोर्ड	0.00	0.00
सरकारी कंपनियाँ	4,403.08	348.45
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	1,117.17	1,414.04
पंचायती राज संस्थाएँ	0.00	0.00
सांविधिक निगम	615.85	880.86
सरकारी कर्मचारी	125.68	96.69
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	0.00	0.00
अन्य	524.33	5.60
कुल	6,786.11	2,745.64

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों बैंकों, सांविधिक निगमों और सरकारी कर्मचारियों को ऋणों दिए गए। ऋण के पुनर्भुगतान की गति सहकारी समितियों/सहकारी निगमों बैंकों तथा सांविधिक निगमों में इसके संवितरण की गति से अधिक थी। हालाँकि, सरकारी कंपनियों के मामले में, जहाँ विगत पाँच वर्षों में ऋण का 64.88 प्रतिशत संवितरित किया गया था, में से केवल 7.91 प्रतिशत ऋण का ही पुनर्भुगतान किया गया।

लाभार्थी से ऋण की वसूली न होने से राज्य सरकार की धनराशि अवरुद्ध हो जाती है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि में बांटे गए ₹ 6,786.11 करोड़ ऋण के मुकाबले केवल ₹ 2,745.64 करोड़ की वसूली हुई।

विभिन्न ऋणी समूहों से बकाया ब्याज की राशि नीचे तालिका 2.34 में दिखाई गई है।

तालिका 2.34: 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए बकाया ब्याज भुगतान का ऋणी समूहवार विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें/नगर निगम	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40
हाउसिंग बोर्ड	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
सरकारी कंपनियाँ	3,273.51	4,186.71	5,118.51	6,054.40	6,996.90
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	632.37	718.02	801.88	887.48	973.13
पंचायती राज संस्थाएँ	23.54	26.77	30.00	33.23	36.46
सांविधिक निगम	4,485.87	4,576.75	4,677.63	4,768.52	4,869.33
सरकारी कर्मचारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध उद्देश्यों लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	553.03	685.14	817.04	948.94	1,079.65
कुल	9,038.12	10,263.19	11,514.86	12,762.37	14,025.27

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 2.34 से देखा जा सकता है कि नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों और हाउसिंग बोर्डों से बकाया ब्याज भुगतान की राशि बरकरार रही यानी इसमें कोई वृद्धि या विलोपन नहीं देखा गया (इन दोनों संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज लंबे समय से बरकरार रहा)। इसके अलावा, देय ब्याज की राशि भी स्थिर रही।

इन दोनों समूहों अर्थात्, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड से ऋण और उस पर ब्याज की राशि का समाधान करने या उसकी वसूली के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। यह देखा जा सकता है कि बकाया ब्याज भुगतान की राशि साल दर साल बढ़ती जा रही थी। इसका तात्पर्य यह है कि ऋणी समूह द्वारा ऋण पर ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार, ब्याज भुगतान न करने के परिणामस्वरूप न केवल इन ऋणी संस्थाओं पर ब्याज बढ़ रहा है, बल्कि इन ऋणी संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज के बदले में राज्य को राजस्व से भी वंचित होना पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (फरवरी 2024) पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

2.5.3.3 निष्क्रिय ऋण लेखे

निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के तहत, विगत वर्षों में विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वितरित ₹ 1,973.63 करोड़ के ऋणों की बकाया शेष (₹ 50 करोड़ और अधिक) राशि निष्क्रिय रही थी, यानी विगत नौ वर्षों (वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23) के लिए न तो मूलधन और न ही ब्याज का भुगतान किया गया। निष्क्रिय ऋण लेखे तालिका 2.35 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.35: निष्क्रिय ऋण खाता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लेखा शीर्ष	2015-23
6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	70.04
6216	आवास के लिए ऋण	136.73
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	260.47
6408	खाद्य भंडारण और भंडारण के लिए ऋण	1,448.75
6515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण	57.64
कुल		1,973.63

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इन बकाया ऋणों की उचित स्तर पर समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो वसूली अथवा बड़े खाते में डाले जाने के लिए कदम उठाए जाएँ। उपर्युक्त के अलावा, चार मुख्य शीर्ष के तहत बकाया राशि में केवल मामूली परिवर्तन के साथ कुछ अन्य बकाया ऋण भी देखे गए और पर्याप्त राशि अभी भी निष्क्रिय थी। ऐसे मुख्य शीर्षों के साथ-साथ उनके तहत बकाया ऋण राशि का विवरण तालिका 2.36 में दिया गया है।

तालिका 2.36: बकाया राशि में मामूली परिवर्तन वाले ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष ⁹	वित्तीय वर्ष						
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
6401	289.52	289.64	289.64	289.64	289.63	389.24	406.72
6801	15,520.91	15,745.26	15,571.40	15,622.97	15,865.97	15,943.10	16,034.13
6860	469.88	469.88	469.88	469.88	469.88	474.13	474.13
6885	314.08	314.07	314.06	314.05	314.05	334.05	334.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.36 यह दर्शाती है कि विगत सात वर्षों में ऋणों की पर्याप्त राशि बरकरार रही। इसके अलावा, विभिन्न ऋण शीर्षों के अंतर्गत ₹ 591.97 करोड़ की राशि को ऋणात्मक शेष के रूप में पाया गया, जिसके लिए मिलान की आवश्यकता है (परिशिष्ट- 2.2)। इन शेष राशियों को वर्ष 2001-02 से आगे बढ़ाया जा रहा था। ऋणों के इस नकारात्मक संतुलन की उचित स्तर पर समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इस शेष राशि को बड़े खाते में डालने/मिलान करने के लिए कदम उठाए जाएँ। वार्षिक लेखे 2022-23 को अंतिम रूप देने पर बहिर्गमन सम्मेलन में (13.09.2023), वित्त विभाग के सचिव (संसाधन), बिहार सरकार ने जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

2.5.3.4 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरी पूँजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्तियों का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करना व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि, ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अधूरी परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.37 (वित्त लेखे 2022-23 के परिशिष्ट-IX पर आधारित) में दर्शाया गया है।

⁹ 6401- फसल पालन के लिए ऋण, 6801-विद्युत परियोजना के लिए ऋण, 6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण, 6885- उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य ऋण।

तालिका 2.37: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्षवार रूपरेखा				31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा		
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (व्यय)
2013-14	1	1.95	-	जल संसाधन	104	370.58
2014-15	0	-	-	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1	-
2015-16	0	-	-	भवन निर्माण	44	373.70
2016-17	0	-	-	स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन	3	2.36
2017-18	4	37.36	3.69	सड़क निर्माण	33	269.02
2018-19	16	778.16	221.82	ग्रामीण कार्य	65	31.67
2019-20	12	834.52	171.11	कुल	250	1,047.33
2020-21	74	2,694.13	441.03			
2021-22	52	711.86	149.70			
2022-23	91	330.90	59.99			
कुल	250	5,388.88	1,047.33			

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022-23 तक, 250 चालू परियोजनाओं की ₹ 5,388.88 करोड़ की अनुमानित लागत में से केवल ₹ 1,047.33 करोड़ खर्च किए गए।

वित्त लेखे 2022-23 के परिशिष्ट-IX "सरकार की प्रतिबद्धताएँ-अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची" (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त) में अधूरी जानकारी के कारण, लेखापरीक्षा वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, 31 मार्च 2023 तक लंबित भुगतान (भविष्य की देनदारी) और संशोधित लागत, यदि कोई हो, की स्थिति का पता नहीं लगा सका।

2.5.3.5 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) (नवंबर, 2015) शुरू की।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), राज्य सरकार और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के बीच (फरवरी, 2016) त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि में डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत ले लेने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम के बकाया ऋण को अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया गया था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को अगले तीन वर्षों में अनुदान और इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण, अंश पूँजी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को तालिका 2.38 में उल्लिखित श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हों, का अधिग्रहण करना होगा।

तालिका 2.38: राज्य द्वारा हानि का अधिग्रहण

वर्ष	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2015-16 की हानि का 50 प्रतिशत	2016-17 की हानि का 25 प्रतिशत

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस योजना के तहत, राज्य को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम के ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) का 75 प्रतिशत गैर-सांविधिक तरलता अनुपात बाँड जारी करके और अनुदान, ऋण और अंश पूँजी के रूप में डिस्कॉम को आय हस्तांतरित करना था। पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार की देयता ₹ 2,331.78 करोड़ थी जैसा कि तालिका 2.39 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.39: उदय के अंतर्गत अंश पूँजी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	-	-	1,369.89	1,369.89
2016-17	-	-	961.89	961.89
कुल			2,331.78	2,331.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2022-23 के लिए डिस्कॉम के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे (अगस्त 2023) और इसलिए नियोजित पूँजी की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के अंतिमिकृत लेखों के अनुसार, दोनों डिस्कॉम (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0): ₹ 3,965.10 करोड़ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0): ₹ 3,275.89 करोड़) पर कुल ₹ 7,240.99 करोड़ का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बाँड पर 2022-23 में ₹ 233.18 करोड़ का मूलधन चुकाया और ₹ 175.17 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

2.5.3.6 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से स्थायी प्रकृति की यथार्थपूर्ण संपत्तियों के निर्माण/ अर्जन/वृद्धि करने या स्थायी उत्तरदायित्व को कम करने के उद्देश्य से किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए और अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान स्थापना और प्रशासनिक मदों पर किए गए ₹ 0.42 करोड़ के राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया।

पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम बताया गया।

2.5.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के तहत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता

उतनी ही बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण तालिका 2.40 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: 2022-23 में स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ए0ई0/ जी0एस0डी0पी0	सी0ई0/ ए0ई0	शिक्षा/ए0ई0	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ ए0ई0
अखिल भारतीय औसत (सामान्य वर्ग) (2018-19)	16.38	15.58	14.76	5.07
राज्य	27.92	15.28	19.31	4.96
अखिल भारतीय औसत (सामान्य वर्ग) (2022-23)	15.79	15.22	14.85	5.68
राज्य	28.95	15.43	20.25	5.43


(स्रोत: सी0ए0जी0 के आर्थिक सलाहकार एवं वित्त लेखे) ए0ई0-कुल व्यय

तालिका 2.40 से देखा जा सकता है कि 2022-23 के दौरान, राज्य की व्यय प्राथमिकताएँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को छोड़कर, अखिल भारतीय औसत से ऊपर थीं।

2.5.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय को चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: वस्तु शीर्षवार व्यय



(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए वित्त लेखे)

- ★ प्रतिबद्ध व्यय¹⁰ (राजस्व व्यय का 34.30 प्रतिशत) के लिए बजट के एक बड़े हिस्से को आवंटित करना अन्य विकासात्मक व्यय प्राथमिकताओं जैसे कि निवेश, निर्माण आदि को बढ़ाने के लचीलेपन को सीमित करता है। हालाँकि, चालू वर्ष में प्रतिबद्ध व्यय ने विगत वर्ष (36.18 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व व्यय का कम अनुपात दर्ज किया।

विगत वर्ष की तुलना में 'वेतन' पर व्यय 5.49 प्रतिशत अधिक था, जो जी0एस0डी0पी0 का 3.30 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 13.49 प्रतिशत था। पेंशन पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में 14.07 प्रतिशत

¹⁰ वेतन और मजदूरी- ₹ 24,816.02 करोड़, पेंशन- ₹ 23,107.87 करोड़ एवं ब्याज भुगतान- ₹ 15,183.54 करोड़।

अधिक था और जी0एस0डी0पी0 का 3.08 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 12.56 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में 9.85 प्रतिशत अधिक था और जी0एस0डी0पी0 का 2.02 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 8.25 प्रतिशत था।

2022-23 में, प्रतिबद्ध देनदारियों पर व्यय कुल व्यय का 29.01 प्रतिशत था, जबकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 14.49 प्रतिशत था, हालाँकि पूँजीगत हिस्से पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है।

2.6 लोक लेखा

प्राप्तियों और संवितरण के संबंध में कुछ लेन-देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर की तरह काम करती है। शेष राशि, वर्ष के दौरान संवितरण के बाद, सरकार के पास विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध निधि होती है।

2.6.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष (संबंधित पाँच वर्षों के मार्च के अंत तक) तालिका 2.41 में दिया गया है।

तालिका 2.41: संबंधित वर्षों के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आई.- लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	277.79	190.40	166.29	76.28	(-) 124.77
जे.- आरक्षित निधि	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.01	522.95	378.12	140.42	1,585.11
	(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.00	0.00	(-) 26.32	0.00	0.00
के.- जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	60.25	202.65	(-) 75.05	(-) 57.17	40.52
	(ब) ब्याज रहित जमा	368.13	1,509.34	4,336.01	(-) 1,543.24	363.64
	(स) अग्रिम	(-) 96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
एल.- उचंत और विविध	(अ) उचंत (सिविल)	(-) 345.13	(-) 5,773.58	(-) 4,879.88	(-) 238.38	1,199.82
	(ब) अन्य लेखे	2,138.36	(-) 2,735.55	(-) 191.23	(-) 4,148.08	7,961.19
	(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये खाते	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	0.00
	(द) विविध	-	-	-	-	-
एम.- प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	76.05	(-) 2.44	4.37	(-) 7.53	0.00
	(ब) अंतरसरकार समायोजन लेखा	0.00	(-) 794.07	794.07	0.00	0.00
कुल		2,478.60	(-) 6,880.31	506.37	(-) 5,777.71	11,025.51

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

नोट: (+) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है और (-) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है।

वर्ष 2022–23 में, राज्य के कुल संसाधनों में निवल लोक लेखा प्राप्तियों ने ₹ 11,025.51 करोड़ का अंशदान दिया। निवल लोक लेखा भुगतान का प्रमुख स्रोत उचंत (सिविल): ₹ 1,199.82 करोड़ तथा विविध के अन्तर्गत अन्य लेखे: ₹ 7,961.19 करोड़ थे।

2022–23 में, राज्य सरकार को ब्याज सहित आरक्षित निधियों के तहत सी0ए0एम0पी0ए0 निधि में क्रेडिट के लिए ₹ 523.07 करोड़ प्राप्त हुए। सरकार को वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से ₹ 43.64 करोड़ (वर्ष 2020–21 में प्राप्त ₹ 0.12 करोड़ सहित) प्राप्त हुए। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 566.71 करोड़ थी। हालाँकि, राज्य सरकार ने इस निधि से कोई व्यय नहीं किया।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति (फरवरी 2024) पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

2.6.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से अंशदान या अनुदान से की जाती है।

राज्य सरकार के पास वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में चार आरक्षित निधियाँ (तीन ब्याज वाली और एक निष्क्रिय) थीं। 31 मार्च 2023 के अंत तक ब्याज वाली आरक्षित निधियों के तहत कुल समेकित शेष राशि ₹ 2,626.60 करोड़ थी। आरक्षित निधियों का विवरण तालिका 2.42 में दिया गया है।

तालिका 2.42: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	आरक्षित निधि का नाम (ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ)	31 मार्च 2023 को शेष
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	1,687.87
2	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	566.71
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	372.02
योग		2,626.60

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के वित्त लेखे)

2.6.2.1 समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)

बारहवे वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष आदि पर देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए, और इन निधियों का उपयोग ऋणों के मोचन के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर0बी0आई0) के दिशा-निर्देश, जो निधि के रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं, इस निधि के लिए वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, संपूर्ण निधि का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाता है और निवेश का विवरण वित्त लेखे की विवरणी-22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की थी जो केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया जाना था। वर्ष 2022–23 में बिहार सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1,288.00 करोड़

का योगदान दिया। 31 मार्च 2023 को निधि का संचय ₹ 8,320.73 करोड़ था, जिसमें 31 मार्च 2023 को अर्जित ब्याज ₹ 1,292.61 करोड़ था।

2.6.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) से बदल दिया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को एक निश्चित अनुपात में निधि में योगदान करना होता है। योगदान को लोक लेखा के मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है तथा व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष-2245 द्वारा किया जाता है।

आर0बी0आई0 के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एस0डी0आर0एफ0 को राज्य सरकारों द्वारा ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस0डी0आर0एफ0 के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस0डी0आर0एफ0 में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जक जमा में निवेश किया जाना है।

एस0डी0आर0एफ0 का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और न्यूनीकरण के प्रावधान को एस0डी0आर0एफ0 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि से किया जाना है।

केंद्र सरकार ने ₹ 1,189.60 करोड़ का योगदान दिया और राज्य सरकार ने अपना हिस्सा ₹ 396.80 करोड़ एस0डी0आर0एफ0 को जारी किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन0डी0आर0एफ0) से प्राप्त ₹ 1,038.96 करोड़ का अनुदान भी शामिल था जो 2021-22 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122-एस0डी0आर0एफ0 के अंतर्गत निधि में ₹ 2,625.36 करोड़ (2021-22 का केंद्र का हिस्सा: ₹ 1,189.60 करोड़, राज्य का हिस्सा: ₹ 396.80 करोड़ और एन0डी0आर0एफ0 के लिए प्राप्त ₹ 1,038.96 करोड़) अंतरित किए।

राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढाँचे की तत्काल मरम्मत और बहाली के लिए विभिन्न संस्थाओं पर ₹ 1,166.55 करोड़ (एम0एच0 2245-05 के तहत) खर्च किए।

2.6.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस0डी0एम0एफ0)

राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस0डी0एम0एफ0) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस0डी0आर0एफ0)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन0डी0आर0एफ0) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में न्यूनीकरण परियोजना से है।

राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत जुलाई 2022 में एस0डी0एम0एफ0 बनाया। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 148.70 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे प्रमुख शीर्ष 8121-130 एस0डी0एम0एफ0 के अन्तर्गत निधि में अंतरित किया जाना बाकी था। हालाँकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 8121-130-एस0डी0एम0एफ0 के अन्तर्गत निधि में ₹ 377.60 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 283.20 करोड़ और राज्य का हिस्सा: ₹ 94.40 करोड़ विगत वर्ष 2021-22 से संबंधित) अंतरित किए। ₹ 148.70 करोड़ के गैर-अंतरण के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

2.6.2.4 गारंटी मोचन निधि

राज्य के लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बाँड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 'गारंटी मोचन निधि' का गठन राज्य सरकार करती है और लाभार्थियों द्वारा लागू किया जाता है। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है जिन संस्थानों द्वारा लोन का भुगतान जिनके पक्ष में सरकार की गारंटी दी है, नहीं किया गया है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार को गारंटी मोचन निधि बनानी थी और चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व से वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था जैसा कि महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा बनाए गए लेखों की पुस्तकों में दर्शाया गया है। राज्य इस निवेशित वृद्धिशील निधि के बदले आर०बी०आई० से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा का भी लाभ उठा सकता है।

तथापि, राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार न तो गारंटी मोचन निधि का सृजन किया था और न ही गारंटी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाए थे। इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 123.27 करोड़ (वर्ष 2022-23 की शुरुआत में ₹ 24,654.88 करोड़ की बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं किया। धन का निवेश आर०बी०आई० द्वारा किया जाना है।

जैसा कि राज्य ने गारंटी मोचन निधि नहीं बनाई है, इसलिए वह रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा का उपयोग करने का हकदार नहीं था।

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2024) कि गारंटी मोचन निधि बनाने का निर्णय ले लिया गया है और इसका कार्य प्रगति पर है।

2.6.2.5 राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा से बाहर निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल, ऋण या अग्रिम अर्थोपाय के माध्यम से उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि एक समेकित निधि बनेगी जो "राज्य की समेकित निधि" होगी। अनुच्छेद 266 (2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा।

राज्य सरकार ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न उपकर/लेवी लगाई। लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरणों के संबंध में जानकारी/ऑकड़े एकत्र किए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

फरवरी 2008 में राज्य सरकार द्वारा बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बी०ओ०सी०डब्ल्यू०) कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत धन प्रदान करना है। बोर्ड वित्तीय वर्ष में राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र के तहत चल रहे निर्माण कार्यों पर किए गए कुल व्यय के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है।

विभागों ने श्रम उपकर के संग्रहण को प्रमुख शीर्ष 8443-सिविल जमा-108-लोक निर्माण जमा के तहत दर्ज किया, जिसमें श्रम उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं। फलस्वरूप,

विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित श्रम उपकर की राशि का पता नहीं लगाया जा सका। सरकार द्वारा जून 2019 में श्रम से जुड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित श्रम उपकर की बुकिंग के लिए एक अलग उप-शीर्ष (8443-00-108-0004) खोला गया था, जो आज तक चालू नहीं है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2019-20 से 2022-23 के दौरान उपकर का संग्रह और अंतरण नीचे तालिका 2.43 में दिखाया गया है।

तालिका 2.43: बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम उपकर का संग्रहण एवं हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित	अंतरित	गैर-अंतरित राशि
2019-20	89.90	0.14	89.76
2020-21	116.97	31.44	85.53
2021-22	122.23	51.41	70.82
2022-23	104.95	92.91	12.04
कुल	434.05	175.90	258.15

(स्रोत: बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना)

मार्च 2023 तक ₹ 258.15 करोड़ का गैर-अंतरित शेष, राज्य की देनदारी को इंगित करता है। चूँकि, बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में राशि जमा करता है, जो वित्त लेखों में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, इससे वास्तविक संग्रह और व्यय का पता नहीं लगाया जा सकता है। बोर्ड को राशि अंतरित न करने के कारण राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक बढ़ गया।

सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा -6 बी के अनुसार, सड़क सुरक्षा उपकर: (ए) प्रत्येक लाइसेंसधारी से अधिनियम की अनुसूची-IV में निर्दिष्ट दरों पर लगाया और एकत्र किया जाएगा (बी) प्रावधान के अनुसार ऐसे वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर प्रत्येक वाहन भुगतान के लिए उत्तरदायी है (सी) प्रत्येक वाहन वार्षिक कर के एक प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर के लिए उत्तरदायी वाहन के अलावा ऐसे वाहन पर इस अधिनियम के तहत देय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाए गए एकत्र किए गए उपकर की आय, सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से संग्रह और वसूली में खर्चों की कटौती के बाद, “बिहार सड़क सुरक्षा निधि” में विनियोजित की जाएगी।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्ति के लिए एक शीर्ष 0041-00-102-0002 खोला गया था और इसे शीर्ष 2041-00-101-0005 के माध्यम से बिहार सड़क सुरक्षा निधि में अंतरित किया जाना है। 2022-23 में ₹ 159.13 करोड़ एकत्र किए गए थे, लेकिन इसे निर्दिष्ट निधि में अंतरित नहीं किया गया था, जिससे राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में उस सीमा तक वृद्धि हुई।

विभाग ने कहा कि 2022-23 के दौरान शीर्ष 0041-00-102-0002-00-08 के अन्तर्गत ₹ 159.69 करोड़ एकत्र किए गए, जिसमें से ₹ 72.51 करोड़ का व्यय हुआ, जिसका मिलान करना आवश्यक है। हालाँकि, राशि को वर्ष 2022-23 के लिए जैसा कि वित्त लेखे में दर्शाए गए लेखांकन शीर्ष 2041-00-101-0005 के माध्यम से बिहार सड़क सुरक्षा निधि में अंतरित नहीं किया गया।


2.7 लोक दायित्व प्रबंधन

लोक दायित्व प्रबंधन सरकार के दायित्व प्रबंधन के लिए एक रणनीति को स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है जिससे आवश्यक मात्रा में धन जुटाया जा सके, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन या कोई अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किया हो।

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार पर बकाया देनदारियाँ (आंतरिक देनदारी, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देनदारियाँ) ₹ 2,93,307.17 करोड़ की हैं। 2022-23 के बजट अनुमान (₹ 25,885 करोड़) के मुकाबले सकल राजकोषीय घाटा (₹44,823 करोड़) ₹ 18,938 करोड़ से बढ़ गया। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 29,640 करोड़) बजट अनुमान (₹ 9,580 करोड़) से ₹ 20,060 करोड़ बढ़ गया। बढ़े हुए घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया। परिणामस्वरूप, 2022-23 में बकाया देनदारी ₹ 2,57,510.21 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,93,307.17 करोड़ हो गई।

विगत वर्ष की तुलना में बकाया देयता में 13.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि (15.55 प्रतिशत) से कम है। राज्य के बकाया ऋण का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.15: जी0एस0डी0पी0 की तुलना में बकाया दायित्व



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)

उपरोक्त चार्ट दिखाता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य की बकाया देनदारी में 73.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में राज्य की जी0एस0डी0पी0 में 42.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई यानी राज्य की बकाया देनदारी की वृद्धि दर इसकी जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से काफी अधिक है।

2.7.1 दायित्व की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल दायित्व आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर0बी0आई0 से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा को तालिका 2.44 में बताया गया है।

तालिका 2.44: घटक वार दायित्व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
बकाया कुल दायित्व	1,68,921.33	1,93,381.85	2,27,195.51	2,57,510.21	2,93,307.17	
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,14,359.69	1,36,082.09	1,59,557.50	1,82,855.32	2,08,098.10
	भारत सरकार से ऋण	11,785.37	12,098.16	17,657.35	26,057.96	34,747.63
लोक लेखा पर देयताएँ	42,776.27	45,201.60	49,980.66	48,596.93	50,461.44	
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,088.69	9,279.09	9,445.38	9,521.65	9,396.88	
ब्याज सहित आरक्षित निधि	0.01	522.95	901.07	1,041.49	2,626.60	
ब्याज रहित आरक्षित निधि	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	
ब्याज सहित जमा	146.68	349.33	274.29	217.11	257.63	
ब्याज रहित जमा	33,514.57	35,023.91	39,359.92	37,816.68	38,180.33	
गैर-बजट उधारी [§]	-	-	-	1,482.50	686.77	
बकाया समग्र दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	7.75	14.48	17.49	13.34	13.90	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396	
दायित्व/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत) [#]	31.99	33.24	40.05	39.60	39.03	
उधार और अन्य देनदारियाँ (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)						
कुल प्राप्तियाँ	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	
कुल पुनर्भुगतान	61,661.46	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62	
निवल उपलब्ध राशि	12,144.56	24,460.53	33,813.64	30,314.71	35,796.96	
पुनर्भुगतान/प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	83.55	74.03	68.82	74.21	72.45	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0 से प्राप्त आँकड़े)

[§] गैर-बजट उधारी समग्र ऋण में शामिल नहीं है।


[#] वित्त लेखा के अनुसार दायित्व और जी0एस0डी0पी0 का अनुपात 39.03 प्रतिशत है, जो कि गैर-बजट उधारी को छोड़कर गणना की गई है।

तालिका 2.44 से यह देखा जा सकता है कि:

- ★ 2018-23 के दौरान बकाया देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 अनुपात 31.99 प्रतिशत से 40.05 प्रतिशत तक था। विगत पाँच वर्षों से राज्य की कुल देनदारी बढ़ रही है। प्रमुख घटक आंतरिक देनदारी (चालू वर्ष में 70.95 प्रतिशत) था जिसमें बाजार उधार शामिल था।
- ★ राज्य की देनदारी और जी0एस0डी0पी0 अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग की सीमा (40.80 प्रतिशत) के भीतर था, लेकिन बी0एफ0आर0बी0एम0 की सीमा (38.66 प्रतिशत) से काफी दूर था।
- ★ लोक लेखा की बकाया देनदारियाँ विगत वर्ष से 3.84 प्रतिशत बढ़ी हैं, जो जी0एस0डी0पी0 की 6.72 प्रतिशत और बकाया समग्र ऋण की 17.20 प्रतिशत थी। 2018-19 से 2022-23 तक लोक लेखा देनदारियों में 17.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह विगत पाँच वर्षों की अवधि में सबसे अधिक थी। लघु बचत, भविष्य निधि और ब्याज रहित जमा लोक लेखा देनदारियों के प्रमुख घटक थे।
- ★ बकाया समग्र देनदारी 13.90 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। परिणामस्वरूप, बकाया देनदारी 2021-22 से 2022-23 तक ₹ 2,57,510.21 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,93,307.17 करोड़ हो गई। चार्ट 2.16 घटकवार दायित्व प्रवृत्तियों दर्शाता है।

चार्ट 2.16: घटक वार दायित्व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.17 पाँच वर्ष यानी 2018-19 से 2022-23 की अवधि में लिए गए आंतरिक ऋण की मात्रा की तुलना में ऋण की अदायगी को दर्शाता है।

चार्ट 2.17: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में अदायगी

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.17 से पता चलता है कि 2018-23 की अवधि में आंतरिक ऋण में लगातार वृद्धि हुई है। 2022-23 में, चुकाए गए आंतरिक ऋण में 69.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लिए गए आंतरिक ऋण विगत वर्ष तुलना में केवल 23.33 प्रतिशत ज्यादा था।

चालू वर्ष की उधारी का उपयोग केवल 33.80 प्रतिशत दर्ज किया गया, इसका मतलब यह है कि चालू वर्ष में लिए गए आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा, पूर्व के वर्षों में लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किया गया। आंतरिक ऋण से पूर्ववर्ती ऋणों के ज्यादा पुनर्भुगतान के कारण उत्पादक व्यय में संकुचन हुआ।

राजकोषीय घाटा कुल वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है जो राज्य को राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों पर राजस्व और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटे की संरचना और उसका वित्तपोषण तालिका 2.45 में दिखाया गया है।

तालिका 2.45: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय प्रतिरूप
(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा(-)	6,896.65	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38	(-) 11,288.20
2	निवल पूँजीगत व्यय	21,058.25	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिरूप						
1	बाजार उधारी	10,903.07	22,572.54	24,684.91	24,517.46	27,700.00
2	भारत सरकार से ऋण	1,603.45	312.79	5,559.19	8,400.61	8,689.67
3	एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 1,819.02	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	750.88	1,038.22	678.85	668.71	(-) 568.87
5	लघु बचत, पीएफ, आदि	277.80	190.40	166.29	76.28	(-) 124.77
6	जमा और अग्रिम	331.52	1,711.99	4,260.96	(-) 1,600.41	404.16
7	उचंत और विविध	1,793.23	(-) 8,509.14	(-) 5,071.12	(-) 4,386.46	9,161.01
8	प्रेषण	76.05	(-) 796.50	798.44	(-) 7.53	0.00
9	आरक्षित निधियाँ	0.00	522.95	351.80	140.42	1,585.11
10	समग्र घाटा	13,916.98	15,154.90	29,540.97	25,920.73	44,957.96
11	नकद शेष में वृद्धि/कमी	(-) 110.22	(-) 430.95	286.28	(-) 369.45	134.66
12	राजकोषीय घाटा	13,806.76	14,723.93	29,827.25	25,551.28	44,823.30

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022-23 के दौरान, पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 33.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

आदर्श रूप से, पूँजीगत व्यय के माध्यम से पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए बाजार उधारी का उपयोग किया जाना चाहिए। उधार ली गई धनराशि, जिसका उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, बिना किसी परिसंपत्तियों के भविष्य के वर्षों के लिए देयता बनाता है। यह स्पष्ट है कि, राजस्व लेखे पर घाटे के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजार उधारी प्रतिबद्ध रही, जिससे राज्य में संपत्ति सृजन सीमित हो गया। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष दर वर्ष उधार लेना लंबी अवधि में राज्य के वित्त के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज भुगतान दायित्व का एक बड़ा हिस्सा आगामी वर्षों में पूरा करना होगा।

वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाली प्राप्तियों और संवितरण के घटकों को तालिका 2.46 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.46: 2022-23 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटक
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्ति	पुनर्भुगतान	निवल
1	बाजार ऋण	36,800.00	9,100.00	27,700.00
2	बॉण्ड	0.00	233.18	(-) 233.18
3	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,328.98	1,664.67	(-) 335.69
4	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	1,888.35	(-) 1,888.35
5	केंद्र प्रायोजित योजना के लिए ऋण	0.00	3.32	(-) 3.32
6	विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों/राज्यों के लिए अन्य ऋण	10,154.54	1,461.55	8,692.99
7	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2,561.27	2,686.04	(-) 124.77
8	ब्याज सहित आरक्षित निधि	3,002.96	1,417.85	1,585.11
9	ब्याज रहित आरक्षित निधि	1,288.00	1,288.00	0.00
10	ब्याज सहित जमा	2,649.82	2,609.30	40.52
11	ब्याज रहित जमा	72,165.01	71,801.36	363.64
12	उचंचत और विविध	6,28,347.23	6,19,186.22	9,161.01
13	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
14	समग्र घाटा			44,957.96
15	नकद शेष में वृद्धि (-)/कमी (+)	671.24	805.90	(-) 134.66
16	समग्र राजकोषीय घाटा			44,823.30

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे)

2.7.2 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी0एस0ए0)

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्यों के लिए वृहत्-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं:

(ए) ऋण स्थिरता सूचक

ऋण स्थिरता राज्य की भविष्य में अपने ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करती है। इसलिए ऋण की स्थिरता का तात्पर्य वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से रिटर्न के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता से भी है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, राज्य की ऋण स्थिरता निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। तालिका 2.47 में 2018-23 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता के संकेतकों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.47: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण*	1,26,145.06	1,48,180.25	1,77,214.85	2,08,913.28	2,42,845.73
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	9.97	17.47	19.59	17.89	16.24
जी0एस0डी0पी0	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	12.64	10.20	(-) 2.51	14.64	15.55
लोक ऋण/जी0एस0डी0पी0	23.89	25.47	31.24	32.13	32.32

ऋण स्थिरता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल – चूक इतिहास सहित, यदि कोई हो	7,229.82	7,109.83	6,880.47	8,746.47	14,351.07
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.68	7.58	7.12	6.56	6.20
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	9,248.36	10,403.56	11,587.95	12,668.38	14,011.74
राजस्व घाटा/अधिशेष	6,896.65	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38	(-) 11,288.20
ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा/अधिशेष	16,145.01	8,619.43	262.84	12,246.00	2,723.54
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.02	8.37	9.04	7.98	8.11
ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्ति का प्रतिशत	38.73	24.39	19.16	21.63	29.72
राज्य के लिए उपलब्ध निवल ऋण [#]	2,190.02	11,631.63	17,446.64	19,030.05	19,920.71
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	11.73	39.91	48.58	47.05	41.26
ब्याज स्प्रेड	4.96	2.62	(-) 9.63	8.08	9.35
क्वांटम स्प्रेड	6,256.79	3,882.32	(-) 17,065.79	16,880.19	22,706.08
प्राथमिक घाटा	(-) 3,736	(-) 3,733	(-) 17,343	(-) 11,729.33	(-) 29,639.76
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड+प्राथमिक घाटा)	2,520.79	149.32	(-) 34,408.79	5,150.86	(-) 6,933.68

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* बकाया लोक ऋण शीर्ष, 6003- आंतरिक ऋण और 6004- केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।

राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना, लोक ऋण भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक उधार की लागत से, अधिक हो जाती है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या सकारात्मक हो या मध्यम नकारात्मक हो।


ब्याज स्प्रेड (जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर – ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (ऋण x ब्याज स्प्रेड) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति में कहा गया है कि अगर प्राथमिक घाटा के साथ-साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ रहा होगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

तालिका 2.47 के अनुसार, 2021-22 के दौरान, क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक है और प्राथमिक घाटा नकारात्मक है और विगत वर्ष की तुलना में सही हो रहा है, जिससे ऋण स्थिरता सकारात्मक पथ पर है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 2020-21 को छोड़कर, सभी चार वर्षों में अर्थव्यवस्था की विकास दर (जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर) ब्याज दर या सार्वजनिक उधार की लागत से अधिक रही। यद्यपि प्राथमिक घाटा नकारात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप ऋण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई। जी0एस0डी0पी0 की सकारात्मक वृद्धि दर के कारण क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक है, जो बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर से काफी अधिक थी। हालाँकि, चालू

वर्ष के दौरान ₹ 22,706.08 करोड़ के क्वांटम स्प्रेड के मुकाबले प्राथमिक घाटा ₹ (-) 29,639.76 करोड़ दर्ज किया गया, जिससे ऋण स्थिरीकरण में जोखिम पैदा हुआ।

राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का अनुपात भी ऋण स्थिरता का एक अच्छा मापक है। यह अनुपात 2018-19 से 2022-23 की अवधि में 7.02 प्रतिशत और 9.04 प्रतिशत के बीच था और चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि के साथ 8.11 प्रतिशत है। ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति का विवरण चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.18 यह दर्शाता है कि ऋण पुनर्भुगतान का ऋण प्राप्ति से प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में बढ़ा है। विगत चार वर्षों के दौरान, लोक ऋण की वृद्धि दर जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक रही है।

घटता ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। हालाँकि, बिहार का ऋण- जी0एस0डी0पी0 अनुपात 2018-19 के 23.89 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 32.32 प्रतिशत हो गया और विगत पाँच वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि देखी जा रही है। ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहेगा, या अंततः ऋण स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

उत्पादकता की बजाय ऋण भुगतान के लिए ऋण का अधिक उपयोग उपयुक्त नहीं है। ऋण पुनर्भुगतान का ऋण प्राप्ति से प्रतिशत 38.73 प्रतिशत से 19.16 प्रतिशत के बीच था। चूँकि दीर्घकालिक ऋण बिहार सरकार की पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के उद्देश्य से लिया गया है, प्रत्येक ₹ 100 में से ₹ 29.72 की राशि का उपयोग पिछले ऋण के निर्वहन के लिए किया गया था।

(बी) डोमर मॉडल पर ऋण स्थिरता विश्लेषण

ई0 डी0 डोमर (डोमर सिद्धांत 1944 में प्रकाशित हुआ था) के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि सरकारी ऋण की ब्याज दर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को टिकाऊ माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों को चुकाने में सक्षम है और ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात अप्रबंधनीय अनुपात में नहीं बढ़ता है। डोमर मॉडल लोक ऋण के विश्लेषण के मॉडलों में से एक है, जो बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक हो तो ऋण-जी0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है। **तालिका 2.48** डोमर स्थिरता की स्थिति प्रदान करता है।

तालिका 2.48: डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता मानदंड

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक विकास दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), जिसे डोमर गैप कहा जाता है	एस < 0 (प्राथमिक घाटा)	एस > 0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण एक स्थिर मूल्य की ओर बढ़ता है और इसलिए टिकाऊ होता है। कुल ऋण के आधार पर, यह शून्य से अधिक स्थिर स्तर तक पहुँचने के समय में या तो बढ़ेगा या घटेगा।	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।
जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर स्तर पर आए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ेगा	अपरिभाषित स्थिति

जी0एस0डी0पी0 के अनुपात में राज्य का राजकोषीय घाटा विगत पाँच वर्षों के दौरान 2018-19 के 2.62 से बढ़कर 2022-23 में 5.97 हो गया है (**तालिका 1.5 (ए)**)। राज्य ने 2019-20 से राजस्व घाटा दर्ज किया। हालाँकि, 2018-19 से 2022-23 तक प्राथमिक घाटा ₹ 3,733 करोड़ से ₹ 29,640 करोड़ तक था। डोमर मॉडल को लागू करने के बाद, विश्लेषण से पता चला कि राजकोषीय देनदारियाँ स्थिर स्तर पर आनी चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 2.49** में दिखाया गया है।

तालिका 2.49: डोमर मॉडल के अनुसार राज्य का ऋण स्थिरता मूल्य

वर्ष	वास्तविक आर्थिक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमर गैप (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (एस) (-)	पी0डी0/ जी0एस0डी0पी0	टिप्पणी
	(₹ प्रतिशत में)			(₹ करोड़ में)	(₹ प्रतिशत में)	
2018-19	10.86	2.28	8.58	(-) 3,736	(-) 0.71	जैसा कि जी-आर > 0 और एस < 0; जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाना चाहिए।
2019-20	4.44	3.87	0.57	(-) 3,733	(-) 0.64	
2020-21	(-) 7.43	(-) 1.36	(-) 6.07	(-) 17,343	(-) 3.06	
2021-22	8.46	1.9	6.56	(-) 11,729	(-) 1.80	
2022-23	10.64	(-)0.19	10.83	(-) 29,640	(-) 3.94	

- वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक जी0एस0डी0पी0 के लिए की गई है अर्थात स्थिर मूल्यों पर
- वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय देनदारियों पर मुद्रास्फीति को घटाकर औसत ब्याज दर के रूप में की जाती है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए बिहार प्राथमिक घाटे वाला राज्य रहा है। 2020-21 को छोड़कर 2018-19 से 2022-23 तक की पूरी अवधि के दौरान डोमर गैप (जी-आर) सकारात्मक था। डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की

राजकोषीय देनदारियाँ 2020-21 को छोड़कर, ऋण स्थिरता (जी-आर > 0) की स्थिति को पूरा करती हैं। उल्लेखनीय है कि डोमर गैप (जी-आर) ने विगत दो वर्षों में, कोविड-19 अवधि के बाद, जहाँ डोमर गैप (2020-21 में) नकारात्मक था, एक बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है। हालाँकि, राज्य की ऋण स्थिरता/स्थिरता का आकलन करने में अन्य कारकों, जैसे लोक लेखे की देनदारियाँ, अप्रत्याशित घटनाएँ और/या राजस्व की कोई अन्य गैर-सूचीबद्ध हानि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इन प्रवृत्तियों और तालिका 2.49 में दिखाए गए डोमर गैप (जी-आर) के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के पास बढ़ी हुई ऋण प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय के लिए राजकोषीय उपलब्धता है। हालाँकि, डोमर गैप (जी-आर) स्थिर या लगातार बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज नहीं कर रहा है।

राजकोषीय उपलब्धता का यह विश्लेषण अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली आकस्मिक देनदारियों और राजस्व के किसी भी अन्य गैर-सूचीबद्ध नुकसान के प्रभाव के अधीन है। चूँकि इनका पूर्वानुमान या सांख्यिकीय रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार को अपने ऋण और नई उधारी का प्रबंधन करते समय इन आकस्मिक देनदारियों का ध्यान रखना होगा।

राज्य सरकार अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार के लिए अपने उत्पादक व्यय को बढ़ाने के लिए अपने राजकोषीय उपलब्धता का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

(सी) राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता

बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण तालिका 2.50 में दिया गया है।

तालिका 2.50: ऋण स्थिरता – बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम

(₹ प्रतिशत में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा का जी0एस0डी0पी0 से		कुल ऋण का जी0एस0डी0पी0 से		ब्याज अदायगी का राजस्व प्राप्तियों से	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
2018-19	2.62	2.62	23.90	31.99	कोई लक्ष्य नहीं	7.64
2019-20	2.48	2.53	24.95	33.24		8.85
2020-21	2.97	5.26	23.90	40.05		9.74
2021-22	2.97	3.93	26.61	39.60		8.70
2022-23	3.47	5.97	38.66	39.03		8.79

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 संशोधन अधिनियम, 2016)

वित्त आयोग की रिपोर्ट (एफ0सी0आर0) में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का विवरण तालिका 2.51 में दिखाया गया है।

तालिका 2.51: एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

(₹ प्रतिशत में)

राजकोषीय मानदण्ड	लक्ष्य	एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (+)/अधिशेष (-)	लक्ष्य	(-)1.3	3.0	(-)0.1	(-)0.5	(-)0.8
	उपलब्धि	1.30	0.30	1.99	0.06	1.5
राजकोषीय घाटा (+)/अधिशेष (-)	लक्ष्य	3.0	3.0	5.0	4.5 [#]	4.0 [#]
	उपलब्धि	2.62	2.53	5.26	3.93	5.97
कुल बकाया देनदारी का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात	लक्ष्य	24.89	24.93	41.20	40.20	40.80
	उपलब्धि	31.99	33.24	40.05	39.60	39.03
पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	कोई लक्ष्य नहीं				
	उपलब्धि	4.17	4.41	12.80	15.79	15.02

(स्रोत: चौदहवां और पंद्रहवां वित्त आयोग और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

0.5 प्रतिशत सशर्त है

राजकोषीय संकेतकों के स्तर का लगातार उल्लंघन से राजकोषीय स्थिति नियंत्रण के बाहर होने का जोखिम हो सकता है, खासकर तब जब राज्य ने अभी तक सलाहकार आरक्षित निधि जैसे की गारंटी पुनर्भुगतान निधि और अन्य स्थापित नहीं की है।

राज्य की राजकोषीय स्थिरता में अल्प से मध्यम अवधि में जोखिम है जब तक कि व्यय को तर्कसंगत बनाने, आगे के स्रोतों का पता लगाने और राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं।

(डी) ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूप रेखा

ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता तालिका 2.52 में दिखाई गई है।

तालिका 2.52: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

ऋण पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 – 1	22,235.52	9.58
1 – 3	43,211.04	18.61
3 – 5	42,434.61	18.27
5 – 7	45,354.37	19.53
7 से ऊपर	78,969.23	34.01
कुल	2,32,204.76	100.00

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस प्रकार, लोक ऋण का 53.54 प्रतिशत पाँच वर्ष बाद से बकाया है। राज्य के ऋण की लोक ऋण परिपक्वता रूपरेखा इसके पुनर्भुगतान बोझ में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का संकेत देती है।


ऋण परिपक्वता रूपरेखा से पता चला है कि अगले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 1,07,881.17 करोड़ की राशि देय होने वाली है और सरकार को तदनुसार पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान करना होगा।

वित्त विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि ऋण परिपक्वता रूपरेखा मूल रूप से बाजार ऋण की अवधि पर निर्भर करती है।

2.7.3 ऋण और ब्याज की रूपरेखा का पुनर्भुगतान

भविष्य के भुगतान दायित्वों की एक अनुसूची उधार समझौतों के आधार पर तैयार की जाती है। लोक ऋण अनुसूची में ऋण की परिपक्वता की निगरानी करने और उसके आधार पर निर्णय लेने की राज्य की क्षमता जैसे कि एक अलग स्रोत के माध्यम से ऋण को पुनर्वित्त की संभावना शामिल है। यह वर्तमान ऋण देनदारियों पर भविष्य के वर्षों में सार्वजनिक ऋण और बकाया ऋण पर उनके ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। अगले आठ वर्षों में ऋण और ब्याज की अदायगी की प्रवृत्ति चार्ट 2.19 में दिखाई गई है।

चार्ट 2.19: ऋण और ब्याज की चुकौती की प्रवृत्ति



(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार)

राज्य को 2030-31 तक सालाना औसत ₹ 50,206.78 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹ 20,937.73 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 29,269.05 करोड़) लोक ऋण चुकाना होगा।

राज्य द्वारा ब्याज के पुनर्भुगतान की रूप रेखा अगले वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का संकेत देती है, लेकिन ऋण का पुनर्भुगतान एक मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है। पिछली प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2030-31 तक अनुमानित बकाया ऋण (मूलधन + ब्याज) बढ़कर लगभग ₹ 57,761.34 करोड़ हो जाएगा।

राज्य को राजकोषीय जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रावधान और अन्य विशिष्ट जोखिम शमन रणनीतियों को लागू करने में सक्षम होने के लिए नियमित रूप से अपने ऋण प्रोफाइल का राजकोषीय जोखिम विश्लेषण और तनाव-परीक्षण करने की आवश्यकता है।

2.7.4 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग स्वीकार्य नहीं है। उधार ली गई निधियों का उपयोग को तालिका 2.53 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.53: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के दौरान कुल उधारी (2)	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58
पहले के उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन*) (3)	61,661.46	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62
निवल पूँजीगत व्यय (4)	21,058.25	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82
निवल ऋण एवं अग्रिम (5)	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28
निवल उपलब्ध उधारों में से राजस्व व्यय का भाग (6) (6=2-3-4-5)	(-) 8,558.85	11,520.73	15,311.52	5,185.83	2,261.86


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* उधार का केवल मूलधन वाला हिस्सा लिया गया है क्योंकि उधार पर ब्याज का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से चुकाया जा रहा था।

तालिका 2.53 से पता चलता है कि राज्य की कुल उधारी का बड़ा हिस्सा (96.71 प्रतिशत से अधिक) पहले की उधारी के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय पर खर्च किया गया है। हालाँकि, 2022-23 के दौरान, राजस्व व्यय पर ₹ 2,261.86 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल उधार का 1.74 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई है, जो निवल उपलब्ध उधार से पूरी की गई है। उधार ली गई धनराशि के उपयोग की प्रवृत्ति **चार्ट 2.20** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.20: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.20 से पता चलता है कि विगत पाँच वर्षों से राज्य ऋण का 68 प्रतिशत से अधिक ऋणों की अदायगी के लिए खर्च किया जा रहा है और चालू वर्ष में यह विगत वर्ष की तुलना में ₹ 6,940.76 करोड़ बढ़ गया है। हालाँकि, लिए गए कुल ऋण में से पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान का प्रतिशत हिस्सा विगत वर्ष के 74.21 प्रतिशत से घटकर 72.45 प्रतिशत हो गया। वर्ष में लिए गए कुल ऋण का बड़ा हिस्सा पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान में उपयोग पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि के उपयोग के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है।

यदि, बजट से इतर उधार को ध्यान में रखा जाता है, तो ऋण की अदायगी के लिए राज्य के वित्त पर बोझ होगा और बजट से इतर उधार (ओबीबी) को ध्यान में रखने के बाद भविष्य के वर्षों में ऋण की अस्थिरता हो सकती है, जैसे कि ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 39.03 प्रतिशत से बढ़कर 39.13 प्रतिशत हो गया।

राज्य सरकार के ओबीबी पर राज्य की शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) को दरकिनार करने का प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के उधार का बीएफआरबीएम के तहत राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जैसे महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ेगा और समय-समय पर संशोधित बीएफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पार करने का भी प्रभाव पड़ेगा और इंटर जेनरेशनल इक्विटी पर भी असर पड़ेगा। बजट दस्तावेजों में ऐसी देनदारियों का खुलासा न करना राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अपारदर्शी बना देता है। यदि राज्य सरकार अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए विधायी अनुमोदन के बिना तेजी से ओबीबी का सहारा लेती है, तो समय के साथ राज्य की देनदारियाँ काफी बढ़ सकती हैं और राज्य में पूँजीगत संपत्तियों/ बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यक्रमों के लिए धन के आवंटन के लिए राज्य सरकार की क्षमता सीमित हो सकती है।

एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 की कंडिका 7 (2) (ii) में उल्लेख किया गया है कि उधार ली गई धनराशि का उपयोग उत्पादक संपत्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। हालाँकि, राज्य के राजस्व घाटे के आलोक में, राज्य ने उधार ली गई धनराशि का केवल 24.26 प्रतिशत उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए उपयोग किया और उधार ली गई धनराशि का 1.74 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया गया।

आदर्श रूप से उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यय को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना उचित नहीं है। उधार लेने के साथ-साथ, राज्य सरकार राज्य की नीतियों/कार्यों को लागू करने के लिए बाजार से गैर-बजटीय उधार के रूप में धन जुटाने के लिए निगमों/पी0एस0यू0/एस0पी0वी0 की स्थापना/अनुमति दे रही है। इससे राज्य सरकार पर ब्याज का बोझ और बढ़ जाता है।

2.7.5 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में, जिसके लिए गारंटी दी गई है, गारंटी राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएँ हैं।

एस0पी0एस0ई0 को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है। इस प्रकार की गारंटी देने के लिए गारंटी शुल्क लिया जाता है। एस0पी0एस0ई0 ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर सलाना 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। विगत पाँच वर्षों में बिहार सरकार द्वारा दी गई गारंटी तालिका 2.54 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.54: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	21,181.52	21,181.52	25,113.74	37,631.92	40,897.18
जी0एस0डी0पी0	5,27,976	5,81,855	5,67,263	6,50,302	7,51,396
राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688
राजस्व प्राप्ति से गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	16.07	17.05	19.59	23.70	23.68
जी0एस0डी0पी0 से गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	4.01	3.64	4.43	5.79	5.44
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	5,501.86	5,484.56	16,407.71	25,069.78	25,939.25
राजस्व प्राप्ति से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	4.17	4.41	12.80	15.79	15.02
जी0एस0डी0पी0 से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	1.04	0.94	2.89	3.86	3.45


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2022-23 में गारंटीकृत बकाया राशि में ऊर्जा (₹ 13,569.89 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 3,548.52 करोड़), बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 8,653.01 करोड़), बिहार राज्य भंडारण निगम (₹ 104.38 करोड़), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (₹ 33.45) और बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (₹ 30.00 करोड़) शामिल हैं। 31 मार्च 2023 तक कुल बकाया गारंटी राशि में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 52.31 प्रतिशत थी और विगत पाँच वर्षों

की अवधि में गारंटी का बड़ा हिस्सा भी ऊर्जा क्षेत्र का था।

चार्ट 2.21 वर्ष 2022-23 के लिए गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत हिस्सा प्रस्तुत करता है

चार्ट 2.21: गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत हिस्सा



(स्रोत: 2022-23 के वित्त लेखे)

गारंटी की बकाया राशि का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र (52.31 प्रतिशत) के पास है, इसके बाद बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम का हिस्सा है, जो 33.36 प्रतिशत है। विगत पाँच वर्षों की अवधि में, गारंटी की अधिकतम राशि राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 16.07 प्रतिशत से 23.70 प्रतिशत तक थी और यह जी0एस0डी0पी0 के 4.01 प्रतिशत से 5.79 प्रतिशत तक थी।

जहाँ तक वास्तविक बकाया गारंटी का सवाल है, यह विगत पाँच वर्षों में, राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 4.17 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत के बीच थी और जी0एस0डी0पी0 के 0.94 प्रतिशत से 3.86 प्रतिशत के बीच थी।

पंद्रहवें वित्त आयोग के खंड 12.28 (i) (सी) में कहा गया है कि केंद्र सरकार को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक भारत की समेकित निधि की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा, एफ0आर0बी0एम0 समीक्षा समिति की रिपोर्ट, 2018 के अध्याय 2 में किसी भी वित्तीय वर्ष में गारंटी को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करने का भी सुझाव दिया गया है।

केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट और एफ0आर0बी0एम0 समीक्षा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, बिहार ने विगत पाँच वर्षों की अवधि में अपनी जी0एस0डी0पी0 की सीमा को पार कर लिया है और 0.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक दर्ज किया है, वर्ष 2022-23 में बकाया गारंटी जी0एस0डी0पी0 का 3.45 प्रतिशत थी।

आई0जी0ए0एस0-1 के खंड 2 गारंटी के लिए यह निर्धारित करता है कि “सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर लाभार्थी संस्थाओं द्वारा सरकारों को गारंटी कमीशन या शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है”। बिहार सरकार ने अपनी संस्थाओं को गारंटी प्रदान की, लेकिन लाभार्थियों द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल राजस्व का कम संग्रहण हुआ बल्कि आई0जी0ए0एस0-1 का उल्लंघन भी हुआ।

राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से डिस्कॉम के उधार के लिए पर्याप्त गारंटी भी प्रदान की। यह देखते हुए कि राज्य सरकार गारंटर है, बड़े बकाया ऋण और डिस्कॉम के बढ़ते /

निरंतर घाटे के कारण ये परिणामी आकस्मिक देनदारियाँ राज्य के वित्त के लिए जोखिम हैं।

2.8 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹ 1.73 करोड़ का बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0)/ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। 1 अप्रैल 2006 से, सीमा ₹ 425.00 करोड़ तक सीमित थी।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकदी शेष को लघु और दीर्घकालिक भारत सरकार प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभों को मुख्य शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष राशि को समेकित निक्षेप निधि और गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकारें बड़ी नकदी शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा लें जिससे उपलब्ध नकदी को उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकदी शेष में और वृद्धि हो। नकद शेष राशि और उनके निवेश और नकद शेष निवेश खातों का विवरण क्रमशः तालिका 2.55 और 2.56 में दिखाया गया है।

तालिका 2.55: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2023 को अंत शेष
ए. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	671.24	805.90
अन्य बैंकों में जमा	-	-
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	-	-
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	22,070.25	14,069.82
कुल (ए)	22,741.49	14,875.72
बी. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	234.65
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	762.40	765.46
निर्धारित निधि में निवेश	5,740.12	7,028.12
कुल (बी)	6,737.17	8,028.23
कुल (ए+बी)	29,478.66	22,903.95
ब्याज प्राप्तियाँ	189.70	276.23

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे)

यह दर्शाता है कि राज्य ने एक ही समय में राजकोषीय घाटे वाला राज्य होने के साथ-साथ, नियमित आधार पर एक बड़ा नकद शेष को बनाए रखा।

- ★ 'आर0बी0आई0 के पास जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतर-सरकारी मौद्रिक लेनदेन के निपटान के बाद 11 अप्रैल 2023 तक की गई है जैसा कि आर0बी0आई0 को निर्देशित है।
- ★ सरकार ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों में ₹ 14,065.17 करोड़ और अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों में ₹ 4.65 करोड़ की नकद शेष राशि का निवेश किया। वर्ष में इन निवेशों पर सरकार ने ₹ 276.23 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

- ★ सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में बिना कोई अग्रिम लिए नकद शेष राशि को बनाए रखा और इसमें विगत वर्ष से ₹ 134.66 करोड़ की वृद्धि हुई है।

2018-19 से 2022-23 तक नकद शेष निवेश लेखा का विवरण तालिका 2.56 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.56: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि(+)/कमी(-)	अर्जित ब्याज
2018-19	17,395.63	14,791.80	(-) 2,603.83	909.08
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57
2021-22	17,826.65	22,070.25	4,243.60	189.70
2022-23	22,070.25	14,069.82	(-) 8,000.43	276.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2022-23 के दौरान, नकद शेष निवेश खाते में शेष राशि में ₹ 8,000.43 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय कमी आई और यह बजट अनुमान (प्राप्तियों) का 11.22 प्रतिशत था।

2018-19 से 2022-23 तक वर्षवार नकद शेष निवेश खाते में उपलब्ध नकद शेष के साथ जुटाए गए बाजार ऋण की तुलना चार्ट 2.22 में की गई है।

चार्ट 2.22: बाजार ऋण की तुलना में नकद शेष




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने नकद शेष निवेश खाते में ₹ 14,069.82 करोड़ की अंतिम शेष राशि होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा लिया। इस वर्ष के लिए बाजार ऋण ₹ 27,700 करोड़ था। यह उल्लेखनीय है कि नकद शेष निवेश लेखे में राशि संचय होती है।

राज्य नकद शेष (₹ 22,903.95 करोड़) की सीमा तक बाजार उधार लेने से बच सकता था। ₹ 22,903.95 करोड़ के नकद शेष में ₹ 14,069.82 करोड़ का नकद शेष निवेश शामिल है। इन निवेशों पर ₹ 276.23 करोड़ का ब्याज अर्जित हुआ, जबकि राज्य सरकार ने 2022-23 में बाजार उधार पर 7.45 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। नकद शेष निवेश खाते में निवेशित नकद शेष की तुलना में माहवार उपलब्ध नकद शेष चार्ट 2.23 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.23: वर्ष में नकद शेष राशि और निवल नकद शेष निवेश का माहवार संचालन



(स्रोत: वर्ष 2022-23 के मासिक सिविल लेखे)

एक सकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' दर्शाता है कि महीने में सरकार ने उस राशि को ट्रेजरी बिल (टी0बी0) (एम0एच0 8673) में निवेश किया था और एक नकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' इंगित करता है कि सरकार ने महीने के दौरान, परिपक्वता या छूट के माध्यम से, टी0बी0 से, सरकारी लेखे में वापस जमा कर दिया था।

- ✦ अक्टूबर 2022 और फरवरी 2023 के महीने में, नकद शेष निवेश खाते में एक बड़ी निकासी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप खाते में ऋणात्मक शेष हो गया।
- ✦ चूंकि धनराशि का बड़ा हिस्सा (₹ 45,167.33 करोड़) मार्च 2023 के महीने में भारत सरकार से केंद्रीय करों/शुल्कों और सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2023 में निवेश खाते में धनात्मक नकद शेष हो गया।

2.9 निष्कर्ष

- ✦ यद्यपि राज्य ने राजस्व घाटे के प्रगतिशील उन्मूलन के लिए राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 पारित किया था, फिर भी राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा।
- ✦ राज्य का राजस्व घाटा, 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 0.27 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 6.54 प्रतिशत हो गया है।
- ✦ वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में सब्सिडी 5.65 प्रतिशत से 8.06 प्रतिशत थी। विद्युत सब्सिडी कुल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा थी और 68.92 प्रतिशत से 82.77 प्रतिशत के बीच थी।
- ✦ 2022-23 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 44,823.30 करोड़ था जो जी0एस0डी0पी0 का 5.97 प्रतिशत था और मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 25,885.10 करोड़ के लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से बाजार उधार और भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया।
- ✦ 2022-23 के दौरान ली गई ₹ 48,283.52 करोड़ की कुल उधारी में से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 31,519.82 करोड़ (65.28 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय किया।
- ✦ चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ विगत वर्ष की तुलना में ₹ 13,890.69 करोड़ (8.75 प्रतिशत) बढ़ गई हैं, जबकि राजस्व व्यय ₹ 24,756.51 करोड़ (15.55 प्रतिशत) बढ़ गया है। राज्य के स्व राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 23.98 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- ✦ राज्य ने वेतन और मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों पर कुल राजस्व व्यय का 34.30 प्रतिशत खर्च किया, प्राथमिकता क्षेत्र के व्यय के लिए केवल 65.70 प्रतिशत छोड़ा गया।
- ✦ राज्य ने 31 मार्च 2023 तक, वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 39,024.62 करोड़) पर केवल 0.004 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया।
- ✦ लोक ऋण और लोक लेखा देनदारियों सहित कुल बकाया देनदारियाँ जी0एस0डी0पी0 का 39.03 प्रतिशत थीं। विगत वर्ष की तुलना में कुल ऋण 13.90 प्रतिशत बढ़ गया।
- ✦ घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के प्रमुख मानदंड नीचे दिखाए गए हैं:

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के भीतर था	एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम की सीमा से अधिक ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का बढ़ना
राज्य के अपने संसाधनों (कर और करेतर राजस्व) में वृद्धि हुई है	गारंटी मोचन निधि का न बनना
भारत सरकार से केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई	बढ़ता हुआ प्रतिबद्ध व्यय
	लंबित राजस्व बकाया

2.10 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग यह कर सकता है:

- ✦ बजट तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा करें, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच के अंतर को पाटा जा सके।
- ✦ यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करें कि राजस्व की बकाया राशि शीघ्रता से एकत्र की जा सके ताकि राजकोषीय घाटे के कारण राज्य के बोझ को खत्म किया जा सके।
- ✦ सुनिश्चित करें कि कर्मचारी से की गई कटौतियाँ एवं सरकारी अंशदान को पूरी तरह से काटा गया और स-समय एन0एस0डी0एल0 को अंतरित कर दिया गया।
- ✦ एक तंत्र स्थापित हो जो यह सुनिश्चित करे कि अपूर्ण परियोजना से संबंधित पूर्ण सूचनाएँ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को उपलब्ध कराई जाए ताकि जिसका विस्तृत चित्रण बिहार सरकार के वित्त लेखे में परिलक्षित किया जा सके।
- ✦ ऋणों का पुनर्गठन करें ताकि ब्याज भुगतान बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर आ जाए।